



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30, 2019/चैत्र 9, 1941

No. 227]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30, 2019/ CHAITRA 9, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2019

सा. का. नि. 274(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के परामर्श से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का नाम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये नियम 01 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के, “उपाबंध” में, शीर्षक “ख. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)” के अधीन, -

I. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101” में -

(i) अनुच्छेद 39कग के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किये जायेंगे, अर्थात्:-

“39कघ *
39कड *

39कड *

* देखें परिशिष्ट 1

39कच भारतीय लेखा मानक 12 के परिशिष्ट ग आयकर व्यवहारों में अनिश्चितता द्वारा अनुच्छेद ड8 जोड़ा गया है। प्रतिष्ठान उस संशोधन को तब लागू करेगा जब वह भारतीय लेखा मानक 12 के परिशिष्ट ग को लागू करेगा।” ;

(ii) परिशिष्ट ड में, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किये जायेंगे, अर्थात्:-

- “ड1 *
 ड2 *
 ड3 *
 ड4 *
 ड5 *
 ड6 *
 ड7 *

आयकर व्यवहारों पर अनिश्चितता

ड8 एक प्रथम बार अंगीकर्ता जिसकी भारतीय लेखा मानकों के संक्रमण की तिथि इस परिशिष्ट की अधिसूचना तिथि से पहले की है, अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में तुलनात्मक सूचना, में भारतीय लेखा मानक 12, आयकर के परिशिष्ट ग, आयकर व्यवहारों पर अनिश्चितता के प्रयोग को ना दशनि का चयन कर सकता है। जो प्रतिष्ठान इसका चयन करता है वह अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में प्रतिधारित अर्जन के प्रारंभिक अतिशेष (अथवा इक्विटी के अन्य घटक जो उपयुक्त हो) में समायोजन के रूप में भारतीय लेखा मानक 12 के परिशिष्ट ग के प्रयोग के संचित प्रभाव को मान्यता देगा।” ;

(iii) परिशिष्ट 1 में,

(क) अनुच्छेद 9 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“9. आईएफआरएस1 के परिशिष्ट ड के अनुच्छेद ड1-ड2 ‘आईएफआरएस से अल्पकालीन छूटें’ देते हैं जबकि भारतीय लेखा मानक 101, पूर्वोक्त अल्पकालीन छूट नहीं देता। आईएफआरएस 1 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए उनको भारतीय लेखा मानक 101 में जारी रखा गया है।”

(ख) अनुच्छेद 12 की मद (vii) के बाद, निम्नलिखित मद सम्मिलित की जाएगी, अर्थात्:-

“(viii) अनुच्छेद ड3-ड7” ;

(ग) अनुच्छेद 14 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“14. आईएफआरएस1 के अनुच्छेद 34 से 39व एवं 39म 39कख एवं 39कघ भारतीय लेखा मानक 101 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। अनुच्छेद 39कड सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि वह आईएफआरएस 17, बीमा अनुबंध, के जारी होने से हुए संशोधनों पर चर्चा करता है, जिसके तदनु रूप भारतीय लेखा मानक तैयार किया जा रहा है। तथापि, आईएफआरएस 1 की अनुच्छेद संख्या के साथ क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 101 में जारी रखा गया है।”।

II. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 103” में :-

(i) अनुच्छेद 42 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“42क जब एक संयुक्त व्यवस्था (भारतीय लेखा मानक 111, *संयुक्त व्यवस्थाएं* में परिभाषित) की पार्टी एक व्यवसाय जो संयुक्त परिचालन (भारतीय लेखा मानक 111 में परिभाषित) है, का नियंत्रण प्राप्त करती है, तथा उस संयुक्त परिचालन से संबंधित आस्तियों के अधिकार तथा दायित्वों की बाध्यताएं अधिग्रहण तारीख से पहले ही थे, ऐसा लेन-देन चरणों में प्राप्त व्यावसायिक संयोजन है। इसलिए अधिग्रहणकर्ता एक चरणों में प्राप्त व्यावसायिक संयोजन के लिए अपेक्षाओं को लागू करेगा, जिसमें संयुक्त परिचालन में पहले से धारित हितों को अनुच्छेद 42 में वर्णित तरीके से पुनर्माप मापना शामिल है। ऐसा करने में, अधिग्रहणकर्ता अपने संयुक्त परिचालन में पहले से धारित सभी हितों का पुनः माप करेगा।”;

(ii) अनुच्छेद 64ड के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“64ढ *

64ण *भारतीय लेखा मानक में वार्षिक सुधार (2018)* के अंतर्गत अनुच्छेद 42क जोड़ा गया है। एक प्रतिष्ठान उन संशोधनों को उन व्यावसायिक संयोजनों के लिए लागू करेगा जिनकी अधिग्रहण तिथि दिनांक 01 अप्रैल, 2019 अथवा इसके बाद प्रारंभ होने वाली प्रथम वार्षिक अवधि का प्रारंभ है या उसके बाद की है।”;

(iii) परिशिष्ट 1 में, अनुच्छेद 5 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“5 आईएफआरएस 3 के अनुच्छेद 64-64ज एवं 64ठ भारतीय लेखा मानक 103 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। अनुच्छेद 64ढ सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि वह आईएफआरएस 17, *बीमा अनुबंध*, के जारी होने से हुए संशोधनों के संदर्भ में है, जिसके तदनु रूप भारतीय लेखा मानक तैयार किया जा रहा है। तथापि, आईएफआरएस 3 की अनुच्छेद संख्या के साथ क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 103 में जारी रखा गया है।”।

III. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109” में :-

(i) अनुच्छेद 7.1.5 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किये जायेंगे, अर्थात्:-

7.1.6 *

7.1.7 *ऋणात्मक क्षतिपूर्ति के साथ पूर्व भुगतान विशेषताएं* (भारतीय लेखा मानक 109 में संशोधन) द्वारा अनुच्छेद 7.2.1-7.2.34 तथा ख4.1.12क को जोड़ा तथा अनुच्छेद ख4.1.11(ख) तथा ख4.1.12(ख) को संशोधित किया गया है। एक प्रतिष्ठान इन संशोधनों को 01 अप्रैल, 2019 को अथवा उसके पश्चात आरंभ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए लागू करेगा।

7.2 संक्रमण¹

7.2.1 एक प्रतिष्ठान इस मानक को भारतीय लेखा मानक 8 *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन तथा त्रुटियां* के अनुसार पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू करेगा, अनुच्छेद 7.2.4-7.2.14 में विनिर्दिष्ट को छोड़कर। यह मानक उन मर्दों पर लागू नहीं होगा जिन्हें प्रारंभिक लागू होने की तारीख पर पहले से ही अमान्य कर दिया गया है।

7.2.2 *

वर्गीकरण तथा माप (अध्याय 4 तथा 5) के लिए संक्रमण

7.2.3 प्रारंभिक लागू की तारीख पर एक प्रतिष्ठान समीक्षा करेगी कि क्या वित्तीय आस्ति उस तारीख पर विद्यमान तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर अनुच्छेद 4.1.2क अथवा 4.1.2क(क) में दी गई शर्तों को पूरा करती है। परिणामत् वर्गीकरण को पूर्व रिपोर्टिंग अवधि में प्रतिष्ठान के व्यापार मॉडल पर विचार किए बिना पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू किया जाएगा।

7.2.4 यदि प्रारंभिक लागू की तारीख पर, एक प्रतिष्ठान के लिए उन तथ्यों तथा परिस्थितियों जो वित्तीय आस्ति की प्रारंभिक मान्यता पर विद्यमान थी के आधार पर अनुच्छेद ख4.1.9ख-ख4.1.9घ के अनुसार संशोधित धन के समय मूल्य तत्व का निर्धारण करना अव्यवहारिक है (जैसाकि भारतीय लेखा मानक 8 में परिभाषित है), तो वह प्रतिष्ठान तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर, जो वित्तीय आस्ति की प्रारंभिक मान्यता पर, उस वित्तीय आस्ति की अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों विशेषताओं का निर्धारण करेगा, अनुच्छेद ख4.1.9ख-ख4.1.9घ में धन के समय मूल्य तत्व के संशोधन से संबंधित अपेक्षाओं को बिना विचार में लिए।

7.2.5 यदि प्रारंभिक लागू की तारीख पर, एक प्रतिष्ठान के लिए उन तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर जो वित्तीय आस्ति की प्रारंभिक मान्यता पर विद्यमान थी, अनुच्छेद ख4.1.12(ग) के अनुसार यह निर्धारित करना अव्यवहारिक है (जैसा कि भारतीय लेखा मानक 8 में परिभाषित है) कि क्या पूर्वभुगतान गुण का उचित मूल्य महत्वहीन था, तो वह प्रतिष्ठान उन तथ्यों तथा परिस्थितियों जो अनुच्छेद ख4.1.12 में दिए गए पूर्व भुगतान विशेषताओं के लिए अपवाद को विचार में लिए बिना वित्तीय आस्ति की प्रारंभिक मान्यता पर विद्यमान थी, के आधार पर उस वित्तीय आस्ति की अनुबंधात्मक नकदी प्रवाहों का निर्धारण करेगी।

7.2.6 *

7.2.7 *

7.2.8 प्रारंभिक लागू होने की तारीख पर, एक प्रतिष्ठान निम्न प्रकार से नामोदिष्ट कर सकती है:

- (क) एक वित्तीय आस्ति जिसे अनुच्छेद 4.1.5 के अनुसार लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापते हुए; अथवा
- (ख) इक्विटी लिखत में निवेश जिसे अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसार अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापते हुए।

इस प्रकार के नामोदेशन को उन तथ्यों तथा परिस्थितियों जो प्रारंभिक लागू होने की तारीख पर विद्यमान है, के आधार पर किया जाएगा। उस वर्गीकरण को पूर्ववर्ती रूप से लागू किया जाएगा।

¹ 'संक्रमण' शीर्ष के अंतर्गत अनुच्छेद 7.2.1-7.2.8 को *ऋणात्मक क्षतिपूर्ति के साथ पूर्व भुगतान विशेषताएं* (इंड एएस 109 का संशोधन), तथा प्रस्तावित इंड एएस 117, *बीमा संविदा*, के जारी होने के परिणामस्वरूप जोड़ा गया है। तदनुसार इन संक्रमणकालीन प्रावधानों को केवल उपरोक्त संशोधनों अथवा जहां पर विशिष्ट रूप से वर्णित किया है के लिए, विचार में लिया जा सकता है।

* देखें परिशिष्ट 1

7.2.9 प्रारंभिक लागू होने की तारीख पर एक प्रतिष्ठान :

- (क) एक वित्तीय आस्ति के पूर्व नामोद्देशन को रद्द कर देगा जिसके द्वारा वित्तीय आस्ति को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया है यदि वह वित्तीय आस्ति अनुच्छेद 4.1.5 में दी गई शर्त को पूरा नहीं करती है।
- (ख) एक वित्तीय आस्ति का के पूर्व नामोद्देशन को रद्द कर सकता है जिसके द्वारा वित्तीय आस्ति को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया है, यदि वह वित्तीय आस्ति अनुच्छेद 4.1.5 की शर्त को पूरा करती है।

इस प्रकार का खंडन उन तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा जो प्रारंभिक लागू होने की तारीख पर विद्यमान होती है। उन वर्गीकरण को पूर्ववर्ती रूप से लागू किया जाएगा।

7.2.10 प्रारंभिक लागू होने की तारीख पर, एक प्रतिष्ठान :

- (क) वित्तीय दायित्व का नामोद्देशन अनुच्छेद 4.2.2(क) के अनुसार लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए के रूप में कर सकता है।
- (ख) वित्तीय दायित्व के उस पूर्व नामोद्देशन को रद्द कर देगा जिसके द्वारा वित्तीय दायित्व के लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया है यदि वह नामोद्देशन अनुच्छेद 4.2.2(क) में दी गई शर्त के अनुसार प्रारंभिक मान्यता पर किया गया था तथा अब वह नामोद्देशन प्रारंभिक लागू की तारीख पर उस शर्त को पूरा नहीं करता।
- (ग) वित्तीय दायित्व के उस पूर्वगत नामोद्देशन को रद्द कर सकता है जिसके द्वारा वित्तीय दायित्व को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया है यदि वह नामोद्देशन अनुच्छेद 4.2.2(क) की शर्त के अनुसार प्रारंभिक मान्यता पर किया गया था तथा अब वह नामोद्देशन प्रारंभिक लागू होने की तिथि पर उस शर्त को पूरा करता है।

इस प्रकार का नामोद्देशन तथा खंडन को उन तथ्यों तथा परिस्थितियों जो प्रारंभिक लागू होने की तारीख पर विद्यमान हैं के आधार पर किया जाएगा। यह वर्गीकरण पूर्ववर्ती रूप से लागू होगा।

7.2.11 यदि एक प्रतिष्ठान के लिए प्रभावी ब्याज पद्धति को पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू करना अव्यवहारिक है (जैसा इंडाएंस 8 में परिभाषित किया है), प्रतिष्ठान निम्न प्रकार से व्यवहार करेगा :

- (क) प्रत्येक प्रस्तुत तुलनात्मक अवधि के अंत पर वित्तीय आस्ति की सकल अग्रणीत (कैरिंग) राशि अथवा वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत के रूप में प्रत्येक वित्तीय संपत्ति अथवा वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य को मापेगा यदि प्रतिष्ठान पूर्व अवधियों को पुनर्कथित करती है; और
- (ख) इस मानक का प्रारंभिक लागू होने की तिथि पर उस वित्तीय दायित्व की नई परिशोधित लागत अथवा वित्तीय आस्ति की नई सकल अग्रणीत (कैरिंग) राशि के रूप में प्रारंभिक लागू होने की तारीख पर वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य को मानेगा।

7.2.12 *

7.2.13 *

7.2.14 प्रारंभिक लागू होने की तिथि पर एक प्रतिष्ठान निर्धारण करेगा कि क्या अनुच्छेद 5.7.7 में दिया गया व्यवहार उन तथ्यों तथा परिस्थितियों जो प्रारंभिक लागू होने की तारीख पर विद्यमान हैं, के आधार पर लाभ अथवा हानि में लेखा विसंगति को सृजित करेगा अथवा बढ़ाएगा। यह मानक उस निर्धारण के आधार पर पूर्ववर्ती रूप से लागू होगा।

7.2.14क*

- 7.2.15 *
- 7.2.16 *
- 7.2.17 *
- 7.2.18 *
- 7.2.19 *
- 7.2.20 *
- 7.2.21 *
- 7.2.22 *
- 7.2.23 *
- 7.2.24 *
- 7.2.25 *
- 7.2.26 *
- 7.2.27 *
- 7.2.28 *

ऋणात्मक क्षतिपूर्वक के साथ पूर्वभुगतान विशिष्टताएं के लिए संक्रमण

- 7.2.29 एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 7.2.30-7.2.34 में निर्दिष्ट को छोड़कर भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार पूर्ववर्ती रूप से, ऋणात्मक क्षतिपूर्ति के साथ पूर्व भुगतान विशेषताएं (भारतीय लेखा मानक 109 में संशोधन), को लागू करेगा।
- 7.2.30 एक प्रतिष्ठान जो इन संशोधनों को पहली बार उसी समय लागू करता है जब यह मानक पहली बार लागू करता है अनुच्छेद 7.2.31-7.2.34 के स्थान पर भारतीय लेखा मानक 101 के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करेगा।
- 7.2.31 एक प्रतिष्ठान जो इन संशोधनों को इस मानक को पहली बार लागू करने के पश्चात् लागू करता है अनुच्छेद 7.2.32-7.2.34 को लागू करेगा। प्रतिष्ठान इन संशोधनों को लागू करने के लिए आवश्यक इस मानक में अन्य संक्रमण अपेक्षाओं को भी लागू करेगा। उस उद्देश्य के लिए, प्रारंभिक लागू करने की तारीख के संदर्भ को उस रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ के संदर्भ में पढ़ा जाएगा। जिस अवधि में प्रतिष्ठान इन संशोधनों को प्रथम बार लागू करता है (इन संशोधनों की प्रारंभिक उपयोग की तारीख)।
- 7.2.32 वित्तीय आस्ति अथवा वित्तीय दायित्व के लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे जाने के नामोदेशन के संबंध में एक प्रतिष्ठान :

* देखें परिशिष्ट 1

- (क) एक वित्तीय आस्ति को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे जाने के लिए गत नामोदेशन को रद्द करेगा यदि वह नामोदेशन पहले अनुच्छेद 4.1.5 की शर्त के अनुसार किया गया था परंतु इन संशोधनों के लागू होने के परिणामस्वरूप वह शर्त अब पूरी नहीं होती है;
- (ख) वित्तीय आस्ति का नामोदेश लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे जाने के लिए कर सकता है यदि उस नामोदेशन ने अनुच्छेद 4.1.5 की शर्त को पहले पूरा नहीं किया था परंतु इन संशोधनों के लागू होने के परिणामस्वरूप अब वह शर्त पूरी होती है;
- (ग) वित्तीय दायित्व को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे जाने के गत नामोदेशन को रद्द करेगा यदि उस नामोदेशन को अनुच्छेद 4.2.2(क) की शर्त के अनुसार पहले किया था परंतु वह शर्त इन संशोधनों के लागू होने के परिणामस्वरूप पूरी नहीं होती है; और
- (घ) वित्तीय दायित्व का नामोदेश लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे जाने के लिए कर सकता है यदि उस नामोदेशन ने अनुच्छेद 4.2.2(क) की शर्त को पहले पूरा नहीं किया था परंतु इन संशोधनों के लागू होने के परिणामस्वरूप वह शर्त अब पूरी होती है।

इस प्रकार का नामोदेशन तथा खंडन को उन तथ्यों तथा परिस्थितियों जो इन संशोधनों की प्रारंभिक लागू होने की तिथि पर विद्यमान होती है, के आधार पर किया जाएगा। वह वर्गीकरण पूर्ववर्ती रूप से लागू होगा।

7.2.33 एक प्रतिष्ठान को इन संशोधनों को परिलक्षित करने के लिए पूर्व अवधियों को पुनर्कथित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिष्ठान पूर्व अवधियों को केवल तभी पुनर्कथित कर सकता है यदि यह पञ्चदृष्टि के उपयोग के बिना संभव है तथा पुनर्कथित वित्तीय विवरण इस मानक में सभी अपेक्षाओं को परिलक्षित करते हैं। यदि प्रतिष्ठान पूर्व अवधि पुनर्कथित नहीं करता वह उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ पर जिसमें इन संशोधनों के प्रारंभिक लागू होने की तारीख सम्मिलित है, अग्रणीत राशि तथा गत अग्रणीत राशि के मध्य अंतर को उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के आरंभिक धारित अर्जनों में (अथवा इक्विटी के अन्य घटक में, जैसा उपयुक्त हो), जिसमें इन संशोधनों के प्रारंभिक लागू होने की तारीख सम्मिलित है।

7.2.34 उस रिपोर्टिंग अवधि में जिसमें इन संशोधनों के प्रारंभिक लागू होने की तारीख सम्मिलित है, प्रतिष्ठान वित्तीय आस्ति तथा वित्तीय दायित्व जो इन संशोधनों के द्वारा प्रभावित हुए थे, के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रारंभिक लागू होने की तारीख पर निम्न सूचना को प्रकट करेगा :

- (क) इन संशोधनों को लागू करने से एकदम पूर्व निर्धारित अग्रणीत राशि तथा गत माप वर्ग;
- (ख) इन संशोधनों को लागू करने के पश्चात् निर्धारित अग्रणीत राशि तथा नया माप वर्ग;
- (ग) तुलनपत्र में किन्हीं वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों की अग्रणीत राशि जिन्हें पहले लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे जाने के रूप में नामोदेश किया था परंतु अब उनका इस प्रकार नामोदेशन नहीं रहा; और
- (घ) वित्तीय आस्तियों अथवा वित्तीय दायित्वों को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे जाने के रूप में किसी नामोदेशन अथवा गैर-नामोदेशन के कारण।” ;

(ii) परिशिष्ट ख में,

(क) अनुच्छेद ख4.1.11 की मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(ख) एक अनुबंधात्मक शर्त जो जारीकर्ता (अर्थात् ऋणी) को यह अनुमति देती है कि वह ऋण लिखत का निश्चित समय से पहले ही भुगतान करे अथवा धारक (अर्थात् ऋणदाता) को यह अनुमति देती है कि वह ऋण लिखत को परिपक्वता से पहले ही ऋण को वापस दे दे तथा पूर्व में किए गए भुगतान की राशि

वस्तुतः यह मूलधन की राशि व बकाया मूलधन पर ब्याज दर्शाती है जिसमें अनुबंध के समय से पूर्व समाप्त होने के लिए पर्याप्त उचित क्षतिपूर्ति शामिल होगी, तथा” ;

(ख) अनुच्छेद ख4.1.12 की मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(ख) पूर्व भुगतान राशि अधिकांशतया अनुबंधात्मक सम राशि और उपर्जित परंतु अदत्त (बकाया) अनुबंधात्मक ब्याज, जिसमें अनुबंध के परिपक्वता के पूर्व दिए जाने हेतु उचित क्षतिपूर्ति शामिल है, को दर्शाता है; तथा” ;

(ग) अनुच्छेद ख4.1.12 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ख4.1.12क अनुच्छेद ख4.1.11(ख) तथा ख4.1.12(ख) को लागू करने के लिए उस घटना अथवा परिस्थिति पर विचार किए बिना जो अनुबंध की जल्दी समाप्ति का कारण है, एक पक्ष उस जल्द समाप्ति के लिए उचित, क्षतिपूर्ति का भुगतान कर सकता है अथवा प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक पक्ष उचित क्षतिपूर्ति का भुगतान अथवा उसे प्राप्त कर सकता है जब यह अनुबंध को पहले समाप्त करने के लिए चुनता है (अथवा अन्यथा जल्द समाप्ति का कारण होता है)।” ;

(iii) परिशिष्ट 1 में,

(क) अनुच्छेद 3 के स्थान पर लिए निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“3. आईएफआरएस 9 के अनुच्छेद 7.1.1 से 7.1.3 भारतीय लेखा मानक 109 में सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। अनुच्छेद 7.1.6 आईएफआरएस 17, *बीमा अनुबंध*, के जारी होने से हुए संशोधनों के संदर्भ में है, जिसके तदनु रूप भारतीय लेखा मानक तैयार किया जा रहा है। तथापि, आईएफआरएस 9 की अनुच्छेद संख्या के साथ क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 109 में जारी रखा गया है” ;

(ख) अनुच्छेद 3 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“4. संक्रमण से संबंधित निम्न अनुच्छेदों को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि ये अनुच्छेद भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। तथापि, आईएफआरएस 9 की अनुच्छेद संख्या के साथ सुसंगतता को बनाए रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 109 में अनुच्छेद संख्या को रखा गया है :

(i) अनुच्छेद 7.2.2

(ii) अनुच्छेद 7.2.6-7.2.7

(iii) अनुच्छेद 7.2.12-7.2.13

(iv) अनुच्छेद 7.2.14क-7.2.28” ।

IV. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 111” में :-

(i) परिशिष्ट ख में अनुच्छेद ख33ग के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ख33गक एक पार्टी जो संयुक्त परिचालन में हिस्सा लेती है परंतु उसके पास संयुक्त नियंत्रण नहीं है, वह उस संयुक्त परिचालन में संयुक्त नियंत्रण प्राप्त कर सकती है, जिसमें संयुक्त परिचालन की गतिविधि भारतीय

लेखा मानक 103 में, परिभाषित व्यवसाय होती है। इन मामलों में, संयुक्त परिचालन में पहले से धारित हित का पुनर्माप नहीं किया जाएगा।”;

(ii) परिशिष्ट ख के बाद, निम्नलिखित परिशिष्ट सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परिशिष्ट ग

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है, और इसका वही प्राधिकार है जो कि भारतीय लेखा मानक के अन्य भागों का है।

प्रभावी तिथि

ग1	*
ग1क	*
ग1कक	*
ग1कख	भारतीय लेखा मानक में वार्षिक सुधार (2018) के अंतर्गत अनुच्छेद ख33ग को जोड़ा गया है। एक प्रतिष्ठान उन संशोधनों को उन लेन-देनों पर लागू करेगा जिनमें वह संयुक्त नियंत्रण दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को अथवा इसके बाद प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधि की शुरुआत पर या उसके बाद प्राप्त हुआ है।”;

(iii) परिशिष्ट 1 में, अनुच्छेद 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“1 आईएफआरएस 11 के परिशिष्ट ग में अनुच्छेद ग1 प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो सम्मिलित नहीं किया गया है। ये प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि लागू करने की तिथि कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित की जाएगी। अनुच्छेद ग1क तथा ग1कक सम्मिलित नहीं किये गये हैं क्योंकि भारतीय लेखा मानकों से संबंधित सभी संक्रमणकालीन उपबंध जहां उचित समझा गया आईएफआरएस 1, अंतर्राष्ट्रीय वित्तिय रिपोर्टिंग मनको का प्रथमवार अंगीकरण के तदनु रूप भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण में सम्मिलित किये गये हैं। तथापि, आईएफआरएस 11 की अनुच्छेद संख्या के साथ क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 111 में जारी रखा गया है।”।

V. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 12” में :-

- (i) अनुच्छेद 52ख को लोपित किया जाएगा;
- (ii) अनुच्छेद 52ख के बाद शब्द और अंक “**अनुच्छेद 52क तथा 52ख को स्पष्ट करते हुए उदाहरण**”, के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

“**अनुच्छेद 52क तथा 57क को स्पष्ट करते हुए उदाहरण**” ;

(iii) अनुच्छेद 57 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“57क एक प्रतिष्ठान एक लाभांश की अदायगी करने के लिए जब एक दायित्व को मान्यता देता है तो वह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 109 में यथा-परिभाषित आयकर परिणामों को मान्यता देगा। लाभांशों के

आयकर परिणाम स्वामियों के संवितरणों की बजाय भूतकाल के लेनदेनों या घटनाओं से उत्पन्न संवितरणीय लाभों से अधिक सीधे संबंधित होते हैं। अतः एक प्रतिष्ठान लाभान्शों के आयकर परिणामों को लाभ या हानि, अन्य व्यापक आय या 'इक्विटी' में मान्यता वहां देगा जहां प्रतिष्ठान ने भूतकाल के लेनदेनों या घटनाओं को मूलरूप से मान्यता दी थी।";

(iv) अनुच्छेद 98ज के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“98झ भारतीय लेखा मानक में वार्षिक सुधार (2018) के अंतर्गत अनुच्छेद 57क जोड़ा गया और अनुच्छेद 52ख को हटाया गया है। एक प्रतिष्ठान उन संशोधनों को 01 अप्रैल, 2019 को अथवा इसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों से लागू करेगा।”;

(v) परिशिष्ट ख के बाद, निम्नलिखित परिशिष्ट सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परिशिष्ट ग, आयकर व्यवहारों की अनिश्चितता

यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है, और इसका वही प्राधिकार है जो कि भारतीय लेखा मानक के अन्य भागों का है।

पृष्ठभूमि

1. भारतीय लेखा मानक 12, आयकर, चालू और आस्थगित कर आस्तियों और दायित्वों के लिए अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करता है। एक प्रतिष्ठान, लागू कर कानूनों के आधार पर भारतीय लेखा मानक 12, की अपेक्षाओं को लागू करता है।
2. यह हो सकता है कि किसी विशेष लेन-देन या स्थिति में कर कानून कैसे लागू होगा यह स्पष्ट नहीं हो। कई बार कर कानून के अंतर्गत किसी विशिष्ट कर व्यवहार के मान्य होने की जानकारी तब तक नहीं होती जब तक कोई प्रासंगिक कर प्राधिकरण या न्यायालय भविष्य में कोई निर्णय नहीं लेता है। परिणामस्वरूप, एक मतभेद या कर प्राधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट कर व्यवहार की जांच एक प्रतिष्ठान के चालू या आस्थगित कर आस्तियों या दायित्वों के लिए लेखा को प्रभावित कर सकते हैं।
3. इस परिशिष्ट में :
 - (क) ‘कर व्यवहार’ का संदर्भ किसी प्रतिष्ठान द्वारा आयकर फाइलिंग में प्रयोग किया गया या भविष्य में प्रयोग किया जाने वाला व्यवहार है।
 - (ख) ‘कर प्राधिकरण’ का संदर्भ उन निकाय का निकायों से है जो यह तय करते हैं कि कर व्यवहार कर कानून के अंतर्गत मान्य है या नहीं। इसमें न्यायालय भी सम्मिलित हो सकता है।
 - (ग) एक ‘अनिश्चित कर व्यवहार’ वह कर व्यवहार है जिसके संबंध में यह अनिश्चित हो कि क्या यह कर व्यवहार कर कानून के अंतर्गत प्रासंगिक कर प्राधिकरण द्वारा मान्य होगा। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान द्वारा कर क्षेत्राधिकार में किसी आयकर फाइलिंग जमा न करवाने या किसी विशिष्ट आय को कर योग्य लाभ में सम्मिलित न करने का निर्णय एक अनिश्चित कर व्यवहार है यदि कर कानून के अंतर्गत उसकी मान्यता अनिश्चित है।

कार्यक्षेत्र

4. यह परिशिष्ट स्पष्ट करता है कि जब आयकर व्यवहारों पर अनिश्चितता हो तब भारतीय लेखा मानक 12, के अंतर्गत, मान्यता और माप की अपेक्षाओं को कैसे लागू करना है। ऐसी परिस्थिति में, प्रतिष्ठान इस परिशिष्ट को लागू करते हुए निर्धारित कर योग्य-लाभ (कर हानि), कर आधारों, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों के आधार पर भारतीय लेखा मानक 12, को लागू कर अपने चालू या आस्थगित कर आस्ति के या दायित्व को मान्यता देंगे और माप करेंगे।

मुद्दे

5. जब आयकर व्यवहारों में अनिश्चितता हो तब यह परिशिष्ट निम्नलिखित को संबोधित करता है :
 - (क) क्या एक प्रतिष्ठान अनिश्चित कर-व्यवहारों पर अलग से विचार करता है;
 - (ख) कर प्राधिकरण द्वारा कर व्यवहारों की जांच के संदर्भ में प्रतिष्ठान द्वारा बनाई गई धारणाएं;
 - (ग) एक प्रतिष्ठान कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधारों, अप्रयुक्त कर हानियाँ, अप्रयुक्त क्रेडिटों और कर दरों को कैसे निर्धारित करता है; और
 - (घ) तथ्यों और परिस्थितियों में परिवर्तनों पर एक प्रतिष्ठान कैसे विचार करता है।

लेखा सिद्धांत

क्या एक प्रतिष्ठान अनिश्चित कर व्यवहारों पर अलग से विचार करता है

6. एक प्रतिष्ठान द्वारा यह निर्धारित करना कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार करना चाहिए। अथवा अन्य किसी एक या अधिक अनिश्चित कर व्यवहारों के साथ विचार करना चाहिए, इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा तरीका अनिश्चितता का बेहतर समाधान करता है। इस बात का निर्धारण करने के लिए कि कौन सा तरीका अनिश्चितता का बेहतर समाधान कर सकता है एवं प्रतिष्ठान यह विचार कर सकता है, उदाहरणतया (क) वह अपनी आयकर फाइलिंग को किस प्रकार तैयार करता है और व्यवहारों का समर्थन करता है; या (ख) एक प्रतिष्ठान कर प्राधिकरण से कैसे अपेक्षा करता है कि वह अपनी जांच करे और जो मुद्दे उस जांच में सामने आए उसका समाधान करें।
7. यदि अनुच्छेद 6 को लागू करते हुए प्रतिष्ठान एक से ज्यादा अनिश्चित कर व्यवहारों पर एक साथ विचार करता है तो प्रतिष्ठान इस परिशिष्ट में 'अनिश्चित कर व्यवहार' के संदर्भों को एक साथ विचाराधीन अनिश्चित कर व्यवहारों के समूह के संदर्भ में पढ़ेगा।

कर प्राधिकरण द्वारा जांच

8. यह आंकलन करने में कि क्या और किस प्रकार एक अनिश्चित कर व्यवहार कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और कर दरों के निर्धारण को प्रभावित करता है, एक प्रतिष्ठान यह धारणा बनाएगा कि कर प्राधिकरण उन राशियों की जांच करेगा जिन राशियों की जांच करने का अधिकार उसके पास है और उन जांचों को करते हुए उसके पास सभी संबंधित सूचनाओं की जानकारी होगी।

कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और कर दरों का निर्धारण

9. एक प्रतिष्ठान को इस पर विचार करना होगा कि क्या यह संभव है कि कर प्राधिकरण एक अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करेगा।
10. यदि प्रतिष्ठान यह निष्कर्ष निकालती है कि इस बात की संभावना है कि कर प्राधिकरण एक अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार कर लेगा तब प्रतिष्ठान कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों या कर दरों का निर्धारण अपनी आयकर फाइलिंग में प्रयोग किए गए या भविष्य में प्रयोग किए जाने वाले कर व्यवहार के साथ सुसंगत रूप से करेगा।
11. यदि प्रतिष्ठान यह निष्कर्ष निकालती है कि इस बात की संभावना नहीं है कि कर प्राधिकरण एक अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करेगा तब प्रतिष्ठान संबंधित कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों या कर दरों का निर्धारण करने में अनिश्चितता के प्रभाव को दर्शाएगा। जिस तरीके से प्रतिष्ठान अनिश्चितता के बेहतर समाधान का पूर्वानुमान करने

की आशा करता है, उस पर निर्भर करते हुए प्रतिष्ठान निम्न में से एक तरीके का प्रयोग करते हुए प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार के लिए अनिश्चितता के प्रभाव को दर्शाएगा :

- (क) अति संभावित राशि – संभावित परिणामों की श्रृंखला में से एकमात्र सबसे अति संभावित राशि। यदि संभावित परिणाम द्विचर या एक मूल्य पर केंद्रित हो तब अति संभावित राशि अनिश्चितता के समाधान का बेहतर पूर्वानुमान कर सकती है।
- (ख) प्रत्याशित मूल्य – संभावित परिणामों की श्रृंखला में अधिसंभव्यता – भारत राशियों का जोड़। जहां संभावित परिणामों की एक श्रृंखला जो ना द्विचर हो और ना एक मूल्य पर केंद्रित हो वहां प्रत्याशित मूल्य अनिश्चितता का बेहतर समाधान अनुमानित कर सकता है।

12. यदि एक अनिश्चित कर व्यवहार चालू कर और आस्थगित कर को प्रभावित करता है (उदाहरणतया यदि वह चालू कर के निर्धारण के लिए प्रयुक्त करयोग्य लाभ और आस्थगित कर के निर्धारण में प्रयुक्त कर आधारों दोनों को प्रभावित करता है), तो प्रतिष्ठान चालू कर और आस्थगित कर दोनों के लिए सुसंगत रूप से निर्णय और प्राक्कलन बनाएगा।

तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिवर्तन

13. यदि तथ्य और परिस्थितियां जिन पर निर्णय और प्राक्कलन आधारित हो बदलते हैं या किसी नई सूचना के परिणामस्वरूप जो कि निर्णय एवं प्राक्कलन को प्रभावित करती है, तब प्रतिष्ठान इस परिशिष्ट द्वारा अपेक्षित निर्णय और प्राक्कलन का पुनःआंकलन करेगा।
14. एक प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां*, को लागू करते हुए तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिवर्तन अथवा नई सूचना के प्रभाव को लेखा प्राक्कलन में परिवर्तन के रूप में दर्शाएगा। रिपोर्टिंग अवधि के बाद होने वाला परिवर्तन समायोज्य या असमायोज्य घटना है इसे निर्धारित करने के लिए प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 10, *रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं*, को लागू करेगा।

प्रयोग - संबंधी दिशा-निर्देश

यह प्रयोग संबंधी दिशा-निर्देश परिशिष्ट ग का अभिन्न अंग है, और इसका वही प्राधिकार है जो कि परिशिष्ट ग के अन्य अंगों का है।

तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिवर्तन (अनुच्छेद 13)

- क1 इस परिशिष्ट के अनुच्छेद 13 को लागू करते हुए, प्रतिष्ठान तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिवर्तन अथवा किसी नई सूचना की प्रासंगिकता और प्रभाव का लागू कर कानूनों के संदर्भ में आंकलन करेगा। उदाहरण के लिए किसी विशिष्ट घटना का परिणाम एक कर व्यवहार के लिए लिये गए निर्णय एवं बनाए गए प्राक्कलन का पुनः आंकलन हो सकता है जो कि अन्य कर व्यवहार के लिए नहीं है यदि वे कर व्यवहार भिन्न कर कानूनों के अधीन हो।
- क2 तथ्यों एवं परिस्थितियों में परिवर्तनों अथवा नई सूचना के उदाहरण में, जिनका परिस्थितियों के आधार पर, परिणाम इस परिशिष्ट द्वारा अपेक्षित निर्णय और प्राक्कलन का पुनः आंकलन हो सकता है, निम्न सम्मिलित हैं परंतु उन तक ही सीमित नहीं है :

(क) कर प्राधिकरण द्वारा जांच और कार्यवाही। उदाहरण के लिए :

- (i) प्रतिष्ठान द्वारा प्रयोग किए गए कर व्यवहार या समान कर व्यवहार के साथ कर प्राधिकरण की सहमति अथवा असहमति;

- (ii) किसी अन्य प्रतिष्ठान द्वारा प्रयोग किए गए समान कर व्यवहार पर कर प्राधिकरण की सहमति अथवा असहमति की जानकारी; और
- (iii) समान कर व्यवहार के निपटान के लिए दी गई अथवा प्राप्त राशि की जानकारी।
- (ख) कर प्राधिकरण द्वारा स्थापित नियमों में परिवर्तन;
- (ग) कर प्राधिकरण द्वारा एक कर व्यवहार की जांच या पुनः जांच के अधिकार की समाप्ति।
- क3 किसी कर व्यवहार के साथ कर प्राधिकरण की सहमति या असहमति की अनुपस्थिति का स्वतंत्र रूप से तथ्यों और परिस्थितियों में उस परिवर्तन या उस नई सूचना जो कि इस परिशिष्ट द्वारा अपेक्षित निर्णयों और प्राक्कलनों को प्रभावित करती है, को गठित नहीं करती है।

प्रकटन

- क4 जब आयकर व्यवहारों पर अनिश्चितता हो तब प्रतिष्ठान को यह निर्धारित करना होगा कि क्या निम्नलिखित का प्रकटन करना है :
- (क) भारतीय लेखा मानक 1, *वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण* के अनुच्छेद 122 को लागू करते हुए कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधारों, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और कर दरों के निर्धारण में लिए गए निर्णय; और
- (ख) भारतीय लेखा मानक 1 के अनुच्छेद 125-129 को लागू करते हुए कर योग्य लाभ (कर हानि), कर आधारों, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और कर दरों के निर्धारण में बनाई गई अवधारणाओं एवं प्राक्कलनों की जानकारी।
- क5 यदि प्रतिष्ठान यह निष्कर्ष निकालता है कि यह संभव है कि कर प्राधिकरण एक अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करेगा तो प्रतिष्ठान को यह निर्धारित करना होगा कि भारतीय लेखा मानक 12 के अनुच्छेद 88 को लागू करते हुए कर - संबंधित आकस्मिकता जैसी अनिश्चितता के संभावित प्रभाव का प्रकटन करना है या नहीं।

प्रभावी तिथि एवं संक्रमणकाल

यह खंड परिशिष्ट ग का अभिन्न अंग है और इसका वही प्राधिकार है जो परिशिष्ट ग के अन्य अंगों का है।

प्रभावी तिथि

- ख1 एक प्रतिष्ठान, इस परिशिष्ट को 1 अप्रैल, 2019 या उसके बाद आरंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के लिए लागू करेगा।

संक्रमणकाल

- ख2 आरंभिक प्रयोग पर एक प्रतिष्ठान इस परिशिष्ट को निम्न में से एक प्रकार से लागू करेगा :
- (क) भारतीय लेखा मानक 8 का प्रयोग करते हुए भूतलक्षी प्रभाव से, यदि वह पञ्चदृष्टि का प्रयोग किए बिना संभव होता है, अथवा
- (ख) आरंभिक प्रयोग की तिथि को इस परिशिष्ट के आरंभिक प्रयोग के संचित प्रभाव को भूतलक्षी प्रभाव से मान्य करते हुए। यदि प्रतिष्ठान संक्रमण के इस तरीके का चयन करती है तो वह तुलनात्मक जानकारी को फिर से प्रकट नहीं करेगा। उसकी बजाय प्रतिष्ठान परिशिष्ट के

आरंभिक प्रयोग के संचित प्रभाव को प्रतिधारित अर्जन के प्रारंभिक अतिशेष (अथवा इक्विटी के अन्य घटक में जो उपयुक्त हों), में समायोजन के रूप में मान्यता देगा। आरंभिक प्रयोग की तिथि उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत होगी जिस वार्षिक अवधि में पहली बार प्रतिष्ठान इस परिशिष्ट का प्रयोग करेगा।” ;

(vi) परिशिष्ट 1 में,

- (क) संबंधित टिप्पणी में, शब्द ‘आयकर,’ के पश्चात् तथा शब्द और आंकड़े ‘और एस आई सी 25’ से पूर्व, ‘आई एफ आर आई सी 23, आयकर व्यवहारों की अनिश्चितता’ शब्द और आंकड़े सम्मिलित किये जायेंगे ;
- (ख) शीर्षक में, शब्द ‘आयकर’ के पश्चात् ‘एवं आई एफ आर आई सी 23’ शब्द और आंकड़े सम्मिलित किये जायेंगे ;
- (ग) अनुच्छेद 4 में मर्दे (iv) से (x) के स्थान पर निम्नलिखित मर्दे प्रतिस्थापित की जाएगी:
- (iv) अनुच्छेद 52ख
- (v) अनुच्छेद 61
- (vi) अनुच्छेद 62(ख) और (घ)
- (vii) अनुच्छेद 69
- (viii) अनुच्छेद 70
- (ix) अनुच्छेद 77क
- (x) अनुच्छेद 81(ख)
- (xi) अनुच्छेद 83”।

VI. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 19” में :-

(i) अनुच्छेद 57 में मर्द (ग) की उप-मर्द (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मर्द प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(i) वर्तमान सेवा लागत (अनुच्छेद 70-74 तथा अनुच्छेद 122क को देखें)।”;

(ii) अनुच्छेद 99 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“99 जब गत सेवा लागत अथवा निपटान पर लाभ अथवा हानि का निर्धारण किया जाता है, एक प्रतिष्ठान योजनागत आस्तियों का वर्तमान उचित मूल्य तथा वर्तमान बीमांकिक अवधारणाओं जैसे वर्तमान ब्याज दरों तथा अन्य वर्तमान बाजार मूल्यों सहित का प्रयोग करते हुए निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) का पुनर्माप करेगा जो निम्नलिखित को प्रदर्शित करेगी :

- (क) योजनागत संशोधन, कटौती अथवा निपटान से पूर्व योजना के अधीन प्रस्तावित लाभ तथा योजनागत आस्तियां; और
- (ख) योजनागत संशोधन कटौती अथवा निपटान के पश्चात् योजना के अधीन प्रस्तावित लाभ तथा योजनागत आस्तियां।”;

(iii) अनुच्छेद 101 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“101क जब एक योजनागत संशोधन, कटौती अथवा निपटान घटित होता है, तब एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 99-101 तथा अनुच्छेद 102-112 के अनुसार किसी गत सेवा लागत, अथवा निपटान पर लाभ अथवा हानि को मान्यता देगा तथा मापेगा। ऐसा करने में, एक प्रतिष्ठान आस्ति सीमा के प्रभाव पर विचार

नहीं करेगी। एक प्रतिष्ठान तब योजनागत संशोधन, कटौती अथवा निपटान के पश्चात् आस्ति सीमा के प्रभाव का निर्धारण करेगा तथा अनुच्छेद 57(घ) के अनुसार उस प्रभाव में बदलाव को मान्यता देगा।”

(iv) अनुच्छेद 120 की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(क) लाभ अथवा हानि में सेवा लागत (अनुच्छेद 66-112 तथा अनुच्छेद 122क देखें);” ;

(v) अनुच्छेद 122 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“वर्तमान सेवा लागत

122क एक प्रतिष्ठान वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ पर निर्धारित बीमांकिक अवधारणाओं का उपयोग करके वर्तमान सेवा लागत का निर्धारण करेगा। तथापि, एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 99 के अनुसार निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) का पुनर्माप करता है, वह अनुच्छेद 99(ख) के अनुसार निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) के पुनर्माप के लिए प्रयुक्त बीमांकिक अवधारणाओं का उपयोग कर योजनागत संशोधन, कटौती अथवा निपटान के पश्चात् वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के शेष के लिए वर्तमान सेवा लागत का निर्धारण करेगा।”;

(vi) अनुच्छेद 123 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“123 एक प्रतिष्ठान निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) पर निवल ब्याज का निर्धारण अनुच्छेद 83 में निर्दिष्ट बढा दर को निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) से गुणा करके करेगी।” ;

(vii) अनुच्छेद 123 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“123क अनुच्छेद 123 के अनुसार, निवल ब्याज का निर्धारण करने के लिए प्रतिष्ठान वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ पर निर्धारित बढागत दर तथा निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) का उपयोग करेगा। तथापि, यदि एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 99 के अनुसार निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) का पुनर्माप करता है, प्रतिष्ठान योजनागत संशोधन, कटौती या निपटान के पश्चात् निम्न का प्रयोग करते हुए वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि का शेष के लिए निवल ब्याज का निर्धारण करेगा।

(i) अनुच्छेद 99(ख) के अनुसार निर्धारित निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति); तथा

(ii) अनुच्छेद 99(ख) के अनुसार निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) के पुनर्माप के लिए प्रयुक्त बढागत दर।

अनुच्छेद 123क को लागू करने में, प्रतिष्ठान अंशदान अथवा लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) में किसी परिवर्तन को भी विचार में लेगा।”;

(viii) अनुच्छेद 125 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“125 योजनागत आस्तियों पर ब्याज आय योजनागत आस्तियों पर प्राप्त प्रतिफल घटक होता है तथा अनुच्छेद 123क में विनिर्दिष्ट बढागत दर को योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य से गुणा करके निर्धारित किया जाता है। एक प्रतिष्ठान वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ पर योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का निर्धारण करेगा। तथापि यदि प्रतिष्ठान अनुच्छेद 99 के अनुसार निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) का पुनर्माप करता है तो वह अनुच्छेद 99(ख) के अनुसार निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) के पुनर्माप के लिए प्रयुक्त योजनागत आस्तियों का प्रयोग करते हुए। योजनागत संशोधन, कटौती अथवा निपटान के पश्चात् वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के शेष के लिए ब्याज आय का निर्धारण करेगा। अनुच्छेद 125 को लागू करने में, प्रतिष्ठान अंशदान अथवा लाभ

भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान धारित योजनागत आस्तियों में परिवर्तन को भी विचार में लेगा। योजनागत आस्तियों पर ब्याज आय तथा योजनागत आस्तियों पर प्राप्त प्रतिफल के मध्य अंतर को निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) के पुनर्माप में सम्मिलित किया जाता है।”;

(ix) अनुच्छेद 126 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“126 आस्ति ऊपरी सीमा के प्रभाव पर ब्याज आस्ति ऊपरी सीमा के प्रभाव में हुए कुल परिवर्तन का भाग होता है तथा इसका निर्धारण अनुच्छेद 123क में विनिर्दिष्ट बट्टागत दर से आस्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव को गुणा करके किया जाता है। एक प्रतिष्ठान वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ पर आस्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव का निर्धारण करेगा। तथापि, यदि एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 99 के अनुसार निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) का पुनर्माप करती है, तो वह प्रतिष्ठान अनुच्छेद 101क के अनुसार निर्धारित आस्ति ऊपरी सीमा के प्रभाव में किसी परिवर्तन को विचार में लेते हुए योजनागत संशोधन कटौती अथवा निपटान के पश्चात् वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के शेष के लिए आस्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव पर ब्याज का निर्धारण करेगा। आस्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव पर ब्याज तथा आस्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव में कुल परिवर्तन को निवल निश्चित लाभ दायित्व (आस्ति) के पुनर्माप में सम्मिलित किया जाता है।”;

(x) अनुच्छेद 156 की मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(क) सेवा लागत (अनुच्छेद 66-112 तथा अनुच्छेद 122क देखें)” ;

(xi) अनुच्छेद 171 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किये जायेंगे, अर्थात्:-

“संक्रमण एवं प्रभावी तिथि

172 *

173 *

174 *

175 *

176 *

177 *

178 *

179 योजनागत संशोधन, कटौती अथवा निपटान (भारतीय लेखा मानक 19 में संशोधन) ने अनुच्छेद 101क, 122क, तथा 123क को जोड़ा है तथा अनुच्छेद 57, 99, 120, 123, 125, 126 तथा 156 को संशोधित किया है। एक प्रतिष्ठान इन संशोधनों को उन योजनागत संशोधन, कटौती अथवा निपटान पर लागू करेगा जो 01 अप्रैल, 2019 या उसके बाद प्रारंभ होने वाली प्रथम वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ पर या उसके बाद घटित होते हैं।”;

(xii) परिशिष्ट 1 में, अनुच्छेद 5 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“6 अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 19 के अनुच्छेद 172 से 177 सम्मिलित नहीं किए गए हैं क्योंकि ये अनुच्छेद क्रमशः संक्रमण एवं प्रभावी तिथि से संबंधित हैं जो भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। अनुच्छेद 178 सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि यह आईएफआरएस 17, *बीमा अनुबंध*, के जारी होने से हुए संशोधनों पर चर्चा करता है, जिसके तदनु रूप भारतीय लेखा मानक तैयार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 19 की अनुच्छेद संख्या के साथ क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद संख्या को भारतीय लेखा मानक 19 में जारी रखा गया है।”

VII. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 23” में :-

(i) अनुच्छेद 14 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“14 एक प्रतिष्ठान आमतौर पर जिस सीमा तक निधियां उधार लेता है और उसे अर्हता प्राप्त आस्ति के प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, वह प्रतिष्ठान अर्हता प्राप्त आस्ति पर किए गए व्यय पर पूंजीकरण की दर लागू करके पूंजीकरण के लिए योग्य उधार लागतों की राशि का निर्धारण करेगा। पूंजीकरण की दर उन उधार लागतों की भारयुक्त औसत होगी जो प्रतिष्ठान की एक अवधि के दौरान बकाया उधार राशि पर लागू होगी। तथापि, एक प्रतिष्ठान इस आंकलन से उन उधार की लागतों को जो विशिष्ट रूप से अर्हता प्राप्त आस्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए ली गई उधार राशि पर लागू है, तब तक सम्मिलित नहीं करेगा जब तक आस्ति के प्रत्याशित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार करने वाली सभी आवश्यक गतिविधिया सारभूत रूप से पूरी नहीं हो जाती हैं। प्रतिष्ठान एक अवधि में जितनी उधार लागत का पूंजीकरण करता है वह उस राशि से अधिक नहीं होगी जो कि वह उस अवधि में खर्च करता है।”;

(ii) अनुच्छेद 28 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“28क भारतीय लेखा मानक में वार्षिक सुधार (2018) के अंतर्गत अनुच्छेद 14 संशोधित किया गया है। एक प्रतिष्ठान संशोधनों को उन उधार की लागतों पर लागू करेगा, जो कि एक प्रतिष्ठान उन संशोधनों को प्रथमवार लागू करने की अवधि के आरंभ में या उसके बाद उपगत करता है।”;

(iii) अनुच्छेद 29g के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“29घ भारतीय लेखा मानक में वार्षिक सुधार (2018) के अंतर्गत अनुच्छेद 14 संशोधित किया गया है तथा अनुच्छेद 28 जोड़ा गया है। एक प्रतिष्ठान उन संशोधनों को 01 अप्रैल, 2019 अथवा इसके बाद प्रारंभ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए लागू करेगा।”

VIII. “भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 28” में :-

(i) अनुच्छेद 14 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्:-

“14क एक प्रतिष्ठान एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम जिस पर इक्विटी विधि लागू नहीं होती में अन्य वित्तीय लिखतों पर भारतीय लेखा मानक 109 भी लागू करता है। इनमें दीर्घ कालीन हित सम्मिलित है जो सारभूत रूप से एक सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम में प्रतिष्ठान के निवल निवेश का भाग बनते हैं (अनुच्छेद 38 देखें)। एक प्रतिष्ठान इस मानक का अनुच्छेद 38 तथा अनुच्छेद 40-43 को लागू करने से पूर्व इस प्रकार के दीर्घ कालीन हित पर भारतीय लेखा मानक 109 को लागू करता है। भारतीय लेखा मानक 109 को लागू करने में प्रतिष्ठान दीर्घ कालीन हित की अग्रणी राशि के प्रति किन्हीं समायोजन को विचार में नहीं लेता जो इस मानक के लागू करने से उत्पन्न होते हैं।”;

(ii) अनुच्छेद 41 को लोपित किया जाएगा;

(iii) अनुच्छेद 45ड के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किये जायेंगे, अर्थात्:-

“45च *

45छ सहयोगी प्रतिष्ठान तथा संयुक्त उद्यम में दीर्घ कालीन हित, में अनुच्छेद 14क को जोड़ा गया है तथा अनुच्छेद 41 को हटाया गया है। एक प्रतिष्ठान 01 अप्रैल, 2019 को अथवा उसके पश्चात् आरंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार पूर्ववर्ती रूप से इन संशोधनों को लागू करेगा सिवाय जैसाकि अनुच्छेद 45ज-45ज में निर्दिष्ट है।

45ज एक प्रतिष्ठान जो अनुच्छेद 45छ में संशोधनों को पहली बार उस समय लागू करता है जब वह भारतीय लेखा मानक 109 को प्रथम बार लागू करता है तो वह दीर्घ कालीन हितों पर भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 14क में वर्णित संक्रमण अपेक्षाओं को लागू करेगा।

45झ एक प्रतिष्ठान जो भारतीय लेखा मानक 109 को पहली बार लागू करने के पश्चात् अनुच्छेद 45छ में संशोधनों को पहली बार लागू करता है, वह दीर्घ कालीन हितों पर अनुच्छेद 14क में वर्णित अपेक्षाओं को लागू करने के लिए आवश्यक भारतीय लेखा मानक 109 में संक्रमण अपेक्षाओं को लागू करेगा। उस प्रयोजन के लिए भारतीय लेखा मानक 109 में प्रारंभिक लागू की तिथि के संदर्भों को उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ जिसमें प्रतिष्ठान संशोधन को पहली बार लागू करता है के संदर्भ में पढ़ा जाएगा (संशोधनों की प्रारंभिक लागू होने की तिथि)। प्रतिष्ठान को संशोधनों के प्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए पूर्व अवधियों को पुनर्कथित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिष्ठान पूर्व अवधि को केवल तभी पुनर्कथित कर सकता है यदि यह पश्चदृष्टि के उपयोग के बिना संभव है।

45ज *

45ट यदि एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद 45झ को लागू कर पूर्व अवधियों को पुनर्कथित नहीं करता, तो वह संशोधन की प्रारंभिक लागू होने की तिथि पर आरंभिक प्रतिधारित अर्जन में (अथवा इक्विटी का अन्य घटक जैसा उचित हो) निम्न के मध्य किसी अंतर को मान्यता देगा।

(क) उस तिथि को अनुच्छेद 14क में वर्णित दीर्घकालीन हितों की पूर्व अग्रणीत राशि; तथा

(ख) उस तिथि को उन दीर्घकालीन हितों की अग्रणीत राशि।

परिशिष्ट क

दृष्टांत उदाहरण – सहयोगी प्रतिष्ठानों तथा संयुक्त उद्यमों में दीर्घकालीन हित

यह उदाहरण एक काल्पनिक स्थिति को प्रस्तुत करता है, इस बात का दृष्टांत देते हुए कि किस प्रकार एक प्रतिष्ठान (निवेशक) उन दीर्घकालीन हितों का लेखा करेगा, जो सारभूत रूप से प्रस्तुत अवधारणाओं के आधार पर भारतीय लेखा मानक 109 तथा भारतीय लेखा मानक 28 को लागू करते हुए एक सहयोगी प्रतिष्ठान (दीर्घकालीन हित) में प्रतिष्ठान की निवल निवेश का भाग है। यह प्रतिष्ठान दीर्घकालीन हितों के लेखा के लिए भारतीय लेखा मानक 109 को लागू करता है। प्रतिष्ठान सहयोगी प्रतिष्ठान में अपने निवल निवेश पर भारतीय लेखा मानक 28 को लागू करता है जिसमें दीर्घकालीन हित सम्मिलित है। इस उदाहरण में विश्लेषण का प्रयोजन केवल उस तरीके का प्रतिनिधित्व करना नहीं है जिसमें भारतीय लेखा मानक 28 की अपेक्षाओं को लागू किया जा सके।

अवधारणाएं

निवेशक के पास सहयोगी प्रतिष्ठान में निम्न तीन प्रकार के हित है

(क) ओ अंश – साधारण अंश जो 40% स्वामित्व हित का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसपर निवेशक इक्विटी पद्धति को लागू करता है। यह हित समापन में उनकी तुलनात्मक प्राथमिकता के आधार पर तीन हितों में से न्यूनतम वरिष्ठ है।

(ख) पी अंश – गैर संचित अधिमान अंश जो सहयोगी प्रतिष्ठान में निवल निवेश का भाग बनता है तथा जिसे निवेशक भारतीय लेखा मानक 109 को लागू करते हुए लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापता है।

(ग) एलटी ऋण- एक दीर्घ कालीन ऋण जो सहयोगी प्रतिष्ठान में निवल निवेश का भाग बनता है जिसे निवेशक वर्णित ब्याजदर तथा 5% प्रति वर्ष की एक प्रभावी ब्याज दर के साथ भारतीय लेखा मानक 109 को लागू करते हुए परिशोधित लागत पर मापता है। सहयोगी प्रतिष्ठान प्रत्येक वर्ष निवेशक को ब्याज का भुगतान करता है। एलटी ऋण तीन हितों में से सर्वाधिक वरिष्ठ है।

एलटी ऋण उद्भूत ऋण - क्षतिग्रस्त ऋण नहीं है। उदाहरण में लिए गए वर्षों में लगातार कोई वस्तुपरक साक्ष्य नहीं है कि सहयोगी प्रतिष्ठान में निवल निवेश भारतीय लेखा मानक 28 को लागू करते हुए क्षतिग्रस्त हुआ है ना ही एलटी ऋण भारतीय लेखा मानक 109 को लागू करते हुए उद्भूत ऋण क्षतिग्रस्त है।

सहयोगी प्रतिष्ठान के पास इक्विटी के रूप में वर्गीकृत कोई अन्य देय संचित अधिमान अंश नहीं है जैसा भारतीय लेखा मानक 28 के अनुच्छेद 37 में वर्णित किया है। उदाहरण में लिए गए वर्षों में लगातार सहयोगी प्रतिष्ठान ना ही तो ओ अंशो पर ना ही पी अंशो पर किसी लाभांश की घोषणा अथवा भुगतान करता है।

निवेशक ने ना तो किसी कानूनी अथवा संरचनात्मक बाध्यता को उपगत किया है ना ही सहयोगी प्रतिष्ठान की तरफ से भुगतान किया है जैसाकि भारतीय लेखा मानक 28 के अनुच्छेद 39 में वर्णित है। तदनुसार निवेशक सहयोगी प्रतिष्ठान की हानि में अपने हिस्से को मान्यता नहीं देता है एक बार जब सहयोगी प्रतिष्ठान में इसके निवल निवेश की अग्रणीत राशि कम हो कर शून्य तक हो जाती है।

ओ अंशो में निवेशक की प्रारंभिक निवेश की राशि 200 रुपये, पी अंशों में 100 रुपये तथा एलटी ऋण में 100 रुपये है। निवेश के अधिग्रहण पर, निवेश की लागत सहयोगी प्रतिष्ठान की पहचान योग्य आस्तियों तथा दायित्वों के निवल उचित मूल्य में निवेशक के हिस्से के बराबर होती है।

यह सारणी भारतीय लेखा मानक 109 को लागू करने के पश्चात् परंतु भारतीय लेखा मानक 28 को लागू करने से पूर्व एलटी ऋण तथा पी अंशों के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत पर अग्रणीत राशि तथा प्रत्येक वर्ष के लिए सहयोगी प्रतिष्ठान का लाभ (अथवा हानि) का सारांश प्रस्तुत करती है।

वर्ष के अंत पर	भारतीय लेखा मानक 109 (उचित मूल्य) को लागू कर पी अंश	भारतीय लेखा मानक 109 (परिशोधित लागत) को लागू कर एलटी ऋण	सहयोगी प्रतिष्ठान का लाभ (हानि)
वर्ष 1	रु. 110	रु. 90	रु. 50
वर्ष 2	रु. 90	रु. 70	रु. (200)
वर्ष 3	रु. 50	रु. 50	रु. (500)
वर्ष 4	रु. 40	रु. 50	रु. (150)
वर्ष 5	रु. 60	रु. 60	-
वर्ष 6	रु. 80	रु. 70	रु. 500
वर्ष 7	रु. 110	रु. 90	रु. 500

विश्लेषण**वर्ष 1**

वर्ष 1 में निवेशक ने निम्न को मान्य किया :

डेबिट ओ अंश	रु. 200	
डेबिट पी अंश	रु. 100	
डेबिट एलटी ऋण	रु. 100	
नकद क्रेडिट		रु. 400
<i>सहयोगी प्रतिष्ठान में प्रारंभिक निवेश को मान्य करने के लिए</i>		

डेबिट पी अंश	रु. 10	
क्रेडिट लाभ अथवा हानि		रु. 10
<i>उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्य करने के लिए (रु. 110-रु. 100)</i>		

डेबिट लाभ अथवा हानि	रु. 10	
क्रेडिट हानि भत्ता (एलटी ऋण)		रु. 10
<i>हानि भत्ता में वृद्धि में मान्यता के लिए (रु. 90-रु.100)</i>		

डेबिट ओ अंश	रु. 20	
क्रेडिट लाभ अथवा हानि		रु. 20
<i>सहयोगी प्रतिष्ठान के लाभ में निवेशक के हिस्से (रु50×40%) को मान्य करने के लिए</i>		

वर्ष 1 के अंत पर, ओ अंशों की अग्रणी राशि रु 220, पी अंशों की रु. 110 तथा एलटी ऋण (हानि भत्ता घटाने के बाद), रु. 90 है।

वर्ष 2

निवेशक वर्ष 2 में निम्न को मान्यता देता है

डेबिट लाभ अथवा हानि	रु 20	
क्रेडिट पी अंश		रु 20
<i>उचित मूल्य में परिवर्तन (रु90-रु110) को मान्यता देने के लिए</i>		

डेबिट लाभ अथवा हानि	रु 20	
क्रेडिट हानि भत्ता (एलटी ऋण)		रु 20
<i>हानि भत्ता में वृद्धि को मान्यता देने के लिए (रु 70- रु 90)</i>		

डेबिट लाभ अथवा हानि	रु 80	
क्रेडिट ओ अंश		रु80
<i>सहयोगी प्रतिष्ठान की हानि को निवेशक के हिस्से को मान्यता देने के लिए (रु200×40%)</i>		

वर्ष 2 के अंत पर, ओ अंशों को अग्रणी राशि रु. 140, पी अंशों की रु.90 तथा एलटी ऋण (हानि भत्ता घटाने के बाद) रु.70 है)

वर्ष 3

भारतीय लेखा मानक 28 के अनुच्छेद 14क को लागू करते हुए, निवेशक पी अंशों तथा एलटी ऋण पर भारतीय लेखा मानक 109 लागू करेगा, भारतीय लेखा मानक 28 के अनुच्छेद 38 को लागू करने से पहले, तदनुसार निवेशक वर्ष 3 में निम्न मान्यता देगा :

डेबिट लाभ अथवा हानि	रु 40	
क्रेडिट पी अंश		रु 40
<i>उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने के लिए (रु50 – रु90)</i>		

डेबिट लाभ अथवा हानि	रु20	
क्रेडिट हानि भत्ता (एलटी ऋण)		रु20
<i>(हानि भत्ता में वृद्धि को मान्यता देने के लिए (रु50 – रु70))</i>		

डेबिट लाभ अथवा हानि	रु200	
क्रेडिट ओ अंश		रु140
क्रेडिट पी अंश		रु50
क्रेडिट एलटी ऋण		रु10

भारतीय लेखा मानक 28 के अनुच्छेद 38 में निर्दिष्ट के अनुसार वरिष्ठता के उल्टे क्रम में सहयोगी प्रतिष्ठान की हानि में निवेशक के हिस्से को मान्यता देने के लिए (रु. 500×40%)

वर्ष 3 के अंत पर, ओ अंशों की अग्रणीत राशि शून्य, पी अंशों की शून्य तथा एलटी ऋण (हानि भत्ता घटाने के बाद) रु. 40 है।

वर्ष 4

सहयोगी प्रतिष्ठान में अपने हितों पर भारतीय लेखा मानक 109 लागू करते हुए, निवेशक वर्ष 4 में निम्न को मान्यता देगा :

डेबिट लाभ अथवा हानि	रु10	
क्रेडिट पी अंश		रु10
<i>उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने के लिए (रु. 40 – रु. 50)</i>		

वर्ष 4 में 10 रुपये के उचित मूल्य में परिवर्तन के मान्य होने के परिणाम पी अंशों की अग्रणीत राशि का 10 रुपये ऋणात्मक होना है। तदनुसार निवेशक पी अंशों को आबंटित सहयोगी प्रतिष्ठान के हानियों के हिस्से को उलटने के लिए निम्न मान्यता देगा :

डेबिट पी अंश	रु10	
क्रेडिट लाभ अथवा हानि		रु10
<i>पी अंशों को पहले से आबंटित सहयोगी प्रतिष्ठान के हिस्से को उलटना</i>		

भारतीय लेखा मानक 28 के अनुच्छेद 38 को लागू करते हुए निवेशक सहयोगी प्रतिष्ठान की हानि की मान्यता को 40 रुपये तक सीमित करता है क्योंकि सहयोगी प्रतिष्ठान में निवल निवेश की अग्रणीत राशि तब शून्य होती है। तदनुसार, निवेशक निम्न को मान्यता देता है :

डेबिट लाभ अथवा हानि	रु 40	
क्रेडिट एलटी ऋण		रु40

सहयोगी प्रतिष्ठान की हानि में निवेशक के हिस्से को मान्यता देने के लिए

वर्ष 4 के अंत पर, ओ अंशों की अग्रणीत राशि शून्य है, पी अंशों की शून्य है तथा एलटी ऋण (हानि भत्ता घटाने के बाद) शून्य है। सहयोगी प्रतिष्ठान की हानियों में रु. 30 का गैर-मान्य हिस्सा भी है (सहयोगी प्रतिष्ठान के संचित हानियों में निवेशक का रु.340 का हिस्सा - रु.320 की मान्य की गई संचित हानि+ रु. 10 की उलटी हानि)

वर्ष 5

सहयोगी प्रतिष्ठान में अपने हितों पर भारतीय लेखा मानक 109 को लागू करते हुए, निवेशक निम्न को मान्यता देगा :

डेबिट पी अंश	रु20	
क्रेडिट लाभ अथवा हानि		रु20
उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने के लिए (रु60 - रु40)		

डेबिट हानि भत्ता (एलटी ऋण)	रु10	
क्रेडिट लाभ अथवा हानि		रु10
हानि भत्ता में कमी को मान्यता देने के लिए (रु60 - रु 50)		

पी अंशों तथा एलटी ऋण पर भारतीय लेखा मानक 109 लागू करने पर, इन हितों की अग्रणीत राशि धनात्मक है। परिणामस्वरूप, निवेशक सहयोगी प्रतिष्ठान की हानियों के पूर्व में अमान्य हिस्से को इन हितों में आबंटित करता है।

डेबिट लाभ अथवा हानि	रु30	
क्रेडिट पी अंश		रु20
क्रेडिट एलटी ऋण		रु10
सहयोगी प्रतिष्ठान की हानियों के पूर्व में अमान्य हिस्से को मान्य करने के लिए		

वर्ष 5 के अंत पर, ओ अंशों की अग्रणीत राशि शून्य है, पी अंशों की शून्य तथा एलटी ऋण (हानि भत्ता घटा कर) शून्य है।

वर्ष 6

भारतीय लेखा मानक 109 लागू करते हुए, निवेशक वर्ष 6 में निम्न को मान्य करेगा :

डेबिट पी अंश	रु20	
क्रेडिट लाभ अथवा हानि		रु20
उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्य करने के लिए (रु. 80 - रु. 60)		

डेबिट हानि भत्ता (एलटी ऋण)	रु10	
क्रेडिट लाभ अथवा हानि		रु10
हानि भत्ता में कमी को मान्य करने के लिए (रु. 70 - रु. 60)		

निवेशक, सहयोगी वरिष्ठता के लाभ को प्रत्येक हित के प्रति उसकी वरिष्ठता के क्रम में आबंटित करता है। निवेशक सहयोगी प्रतिष्ठान के लाभ की राशि जो वह पी अंशों पी अंशों और एलटी ऋण को आबंटित करता है, इक्विटी पद्धति हानि की उस राशि तक सीमित करता है जो इन हितों को पहले आबंटित की गई थी जो कि इस उदाहरण में दोनों हितों के लिए 60 रुपये है।

डेबिट ओ अंश	₹80	
डेबिट पी अंश	₹60	
डेबिट एल टी ऋण	₹60	
क्रेडिट लाभ अथवा हानि		₹200
<i>सहयोगी प्रतिष्ठान के लाभों में निवेशक के हिस्से को मान्यता देने के लिए (₹. 500×40%)</i>		

वर्ष 6 के अंत पर, ओ अंशों की अग्रणीत राशि ₹. 80, पी अंशों की ₹. 80 तथा एलटी ऋण (हानि भत्ता घटा कर) ₹. 70 है।

वर्ष 7

वर्ष 7 निवेशक निम्न को मान्यता देता है :

डेबिट पी अंश	₹30	
क्रेडिट लाभ अथवा हानि		₹30
<i>उचित मूल्य में परिवर्तन करने के लिए (₹. 110-₹. 80)</i>		

डेबिट हानि भत्ता (एलटी ऋण)	₹20	
क्रेडिट लाभ अथवा हानि		₹20
<i>हानि भत्ता में कमी को मान्य करने के लिए (₹. 90 - ₹. 70)</i>		

डेबिट ओ अंश	₹200	
क्रेडिट लाभ अथवा हानि		₹200
<i>सहयोगी प्रतिष्ठान के लाभ में निवेशक के हिस्से को मान्य करने के लिए (₹. 500×40%)</i>		

वर्ष 7 के अंत पर ओ अंशों की अग्रणीत राशि ₹. 280, पी अंशों की रुपये 110 तथा एलटी ऋण (हानि भत्ता घटाकर) ₹. 90 है।

वर्ष 1-7

निवेशक जब प्रत्येक वर्ष में एलटी ऋण पर ब्याज राजस्व को मान्यता देता है, वह एलटी ऋण की अग्रणीत राशि में उन समायोजन को विचार में नहीं लेता जो भारतीय लेखा मानक 28 (भारतीय लेखा मानक 28 का अनुच्छेद 14क) को लागू करनेसे उत्पन्न हुए हैं। तदनुसार निवेशक प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष में निम्न को मान्यता देता है :

डेबिट नकद	₹5	
क्रेडिट लाभ अथवा हानि		₹5

5% की प्रभावी ब्याज दर के आधार पर एलटी ऋण पर ब्याज राजस्व के मान्य करने के लिए

लाभ अथवा हानि में मान्य राशि का सारांश

यह सारणी निवेशक के लाभ अथवा हानि में मान्य राशि का सारांश प्रस्तुत करती है।

वर्ष के दौरान मान्य मद	भारतीय लेखा मानक 109 को लागू कर उलटाव सहित क्षतिग्रस्तता हानियां	भारतीय लेखा मानक 109 को लागू कर पी अंशों का लाभ (हानि)	इकट्टी पद्धति को लागू कर सहयोगी प्रतिष्ठान का लाभ (अथवा हानि) का हिस्से की मान्यता	भारतीय लेखा मानक 109 को लागू कर ब्याज राजस्व
वर्ष 1	रु. (10)	रु.10	रु.20	रु.5
वर्ष 2	रु. (20)	रु. (20)	रु. (80)	रु.5
वर्ष 3	रु. (20)	रु. (40)	रु. (200)	रु.5
वर्ष 4	-	रु.(10)	रु. (30)	रु.5
वर्ष 5	रु.10	रु.20	रु. (30)	रु.5
वर्ष 6	रु.10	रु.20	रु.200	रु.5
वर्ष 7	रु.20	रु.30	रु.200	रु.5

(iv) परिशिष्ट 1 में, अनुच्छेद 4 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित किये जायेंगे, अर्थात्:-

5. अनुच्छेद 41 अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 28 में हटाया गया के रूप में दिखाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 28 की अनुच्छेद संख्या के साथ क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद संख्या को भारतीय लेखा मानक 28 में जारी रखा गया है।
6. अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 28 के अनुच्छेद 45च सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि वह आईएफआरएस 17, *बीमा अनुबंध*, के जारी होने से हुए संशोधनों पर चर्चा करता है, जिसके तदनु रूप भारतीय लेखा मानक तैयार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक 4, *बीमा अनुबंध*, के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) 9, से अस्थायी छूट से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 28 का अनुच्छेद 45झ को भारतीय लेखा मानक 28 में सम्मिलित नहीं किया क्योंकि उक्त छूट को भारतीय लेखा मानक 104 में नहीं दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 28 की अनुच्छेद संख्या के साथ क्रमबद्धता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक 28 में जारी रखा गया है।”।

[फा.सं. 01/01/2009-सीएल.V (खंड VIII)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 16 फरवरी, 2015 की सा.का.नि. 111(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें तारीख 30 मार्च, 2016 की सा.का.नि 365(अ), तारीख 17 मार्च, 2017 की सा.का.नि.258(अ), तारीख 28 मार्च, 2018 की सा.का.नि.310(अ), तारीख 20 सितम्बर, 2018 की सा.का.नि.903(अ) और तारीख 30 मार्च, 2019 की सा.का.नि. 273 (अ) द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**New Delhi, the 30th March, 2019

G.S.R. 274(E).—In exercise of the powers conferred by section 133 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in consultation with the National Financial Reporting Authority, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Companies (Indian Accounting Standards) Second Amendment Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on 1st day of April, 2019.
2. In the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the principal rules), in the “Annexure”, under the heading “B. Indian Accounting Standards (Ind AS)”,-
 - I. in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 101”, -
 - (i) after paragraph 39AC, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

“39AD *

39AE *

39AF Appendix C, *Uncertainty over Income Tax Treatments*, to Ind AS 12 added paragraph E8. An entity shall apply that amendment when it applies Appendix C to Ind AS 12.”;
 - (ii) In Appendix E, the following paragraphs shall be **inserted, namely:-**

“E1 *

E2 *

E3 *

E4 *

E5 *

E6 *

E7 *

Uncertainty over income tax treatments

E8 A first-time adopter whose date of transition to Ind ASs is before the date of notification of this Appendix may elect not to reflect the application of the Appendix C, *Uncertainty over Income Tax Treatments*, to Ind AS 12, *Income Taxes*, in comparative information in its first Ind AS financial statements. An entity that makes that election shall recognise the cumulative effect of applying Appendix C to Ind AS 12 as an adjustment to the opening balance of retained earnings (or other component of equity, as appropriate) at the beginning of its first Ind AS reporting period.”;
 - (iii) In Appendix 1,

* Refer Appendix 1

(a) for paragraph 9, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“9. Paragraphs E1-E2 of Appendix E of IFRS 1 provides ‘Short-term exemptions from IFRSs’, however Ind AS 101 does not provide the aforesaid short-term exemptions. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 1, the same have been retained in Ind AS 101.”;

(b) in paragraph 12, after item (vii), the following shall be inserted, namely:-

(viii) Paragraphs E3-E7.”;

(c) for paragraph 14, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“14. Paragraphs 34 to 39W and 39Y to 39AB and 39AD of IFRS 1 have not been included in Ind AS 101 as these paragraphs relate to effective date and are not relevant in Indian context. Paragraph 39AE has not been included since it refers to amendments due to issuance of IFRS 17, *Insurance Contracts*, for which corresponding Ind AS is under formulation. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 1, these paragraph numbers have been retained in Ind AS 101.”.

II. in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 103”, -

(i) after paragraph 42, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“42A When a party to a joint arrangement (as defined in Ind AS 111, *Joint Arrangements*) obtains control of a business that is a joint operation (as defined in Ind AS 111), and had rights to the assets and obligations for the liabilities relating to that joint operation immediately before the acquisition date, the transaction is a business combination achieved in stages. The acquirer shall therefore apply the requirements for a business combination achieved in stages, including remeasuring its previously held interest in the joint operation in the manner described in paragraph 42. In doing so, the acquirer shall remeasure its entire previously held interest in the joint operation.”;

(ii) after paragraph 64M, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

“64 N*

64O *Annual Improvements to Ind AS (2018)* added paragraph 42A. An entity shall apply those amendments to business combinations for which the acquisition date is on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after 1 April, 2019.”;

(iii) in Appendix 1, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“5 Paragraphs 64-64J and 64L of IFRS 3 related to effective date have not been included in Ind AS 103 as these are not relevant in Indian context. Paragraph 64N has not been included since it refers to amendments due to issuance of IFRS 17, *Insurance Contracts*, for which corresponding Ind AS is under formulation. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 3, these paragraph numbers are retained in Ind AS 103.”.

III. in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 109”, -

* Refer Appendix 1

(i) after paragraph 7.1.5, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

“7.1.6 *

7.1.7 *Prepayment Features with Negative Compensation* (Amendments to Ind AS 109), added paragraphs 7.2.1–7.2.34 and B4.1.12A and amended paragraphs B4.1.11(b) and B4.1.12(b). An entity shall apply these amendments for annual periods beginning on or after 1 April, 2019.

7.2 Transition¹

7.2.1 An entity shall apply this Standard retrospectively, in accordance with Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*, except as specified in paragraphs 7.2.4–7.2.14. This Standard shall not be applied to items that have already been derecognised at the date of initial application.

7.2.2 *

Transition for classification and measurement (Chapters 4 and 5)

7.2.3 At the date of initial application, an entity shall assess whether a financial asset meets the condition in paragraphs 4.1.2(a) or 4.1.2A(a) on the basis of the facts and circumstances that exist at that date. The resulting classification shall be applied retrospectively irrespective of the entity’s business model in prior reporting periods.

7.2.4 If, at the date of initial application, it is impracticable (as defined in Ind AS 8) for an entity to assess a modified time value of money element in accordance with paragraphs B4.1.9B–B4.1.9D on the basis of the facts and circumstances that existed at the initial recognition of the financial asset, an entity shall assess the contractual cash flow characteristics of that financial asset on the basis of the facts and circumstances that existed at the initial recognition of the financial asset without taking into account the requirements related to the modification of the time value of money element in paragraphs B4.1.9B–B4.1.9D.

7.2.5 If, at the date of initial application, it is impracticable (as defined in Ind AS 8) for an entity to assess whether the fair value of a prepayment feature was insignificant in accordance with paragraph B4.1.12(c) on the basis of the facts and circumstances that existed at the initial recognition of the financial asset, an entity shall assess the contractual cash flow characteristics of that financial asset on the basis of the facts and circumstances that existed at the initial recognition of the financial asset without taking into account the exception for prepayment features in paragraph B4.1.12.

7.2.6 *

7.2.7 *

7.2.8 At the date of initial application an entity may designate:

- (a) a financial asset as measured at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 4.1.5; or

* Refer Appendix 1

¹ Paragraphs 7.2.1–7.2.28 under the heading ‘Transition’ have been added as a consequence of issuance of *Prepayment Features with Negative Compensation* (Amendments to Ind AS 109), and proposed Ind AS 117, *Insurance Contracts*. Accordingly, these transitional provisions can be considered only for the purpose of aforesaid amendments or where specifically mentioned.

* Refer Appendix 1

- (b) an investment in an equity instrument as at fair value through other comprehensive income in accordance with paragraph 5.7.5.

Such a designation shall be made on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of initial application. That classification shall be applied retrospectively.

7.2.9 At the date of initial application an entity:

- (a) shall revoke its previous designation of a financial asset as measured at fair value through profit or loss if that financial asset does not meet the condition in paragraph 4.1.5.
- (b) may revoke its previous designation of a financial asset as measured at fair value through profit or loss if that financial asset meets the condition in paragraph 4.1.5.

Such a revocation shall be made on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of initial application. That classification shall be applied retrospectively.

7.2.10 At the date of initial application, an entity:

- (a) may designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss in accordance with paragraph 4.2.2(a).
- (b) shall revoke its previous designation of a financial liability as measured at fair value through profit or loss if such designation was made at initial recognition in accordance with the condition now in paragraph 4.2.2(a) and such designation does not satisfy that condition at the date of initial application.
- (c) may revoke its previous designation of a financial liability as measured at fair value through profit or loss if such designation was made at initial recognition in accordance with the condition now in paragraph 4.2.2(a) and such designation satisfies that condition at the date of initial application.

Such a designation and revocation shall be made on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of initial application. That classification shall be applied retrospectively.

7.2.11 If it is impracticable (as defined in Ind AS 8) for an entity to apply retrospectively the effective interest method, the entity shall treat:

- (a) the fair value of the financial asset or the financial liability at the end of each comparative period presented as the gross carrying amount of that financial asset or the amortised cost of that financial liability if the entity restates prior periods; and
- (b) the fair value of the financial asset or the financial liability at the date of initial application as the new gross carrying amount of that financial asset or the new amortised cost of that financial liability at the date of initial application of this Standard.

7.2.12 *

7.2.13 *

7.2.14 At the date of initial application, an entity shall determine whether the treatment in paragraph 5.7.7 would create or enlarge an accounting mismatch in profit or loss on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of initial application. This

* Refer Appendix 1

Standard shall be applied retrospectively on the basis of that determination.

- 7.2.14A *
- 7.2.15 *
- 7.2.16 *
- 7.2.17 *
- 7.2.18 *
- 7.2.19 *
- 7.2.20 *
- 7.2.21 *
- 7.2.22 *
- 7.2.23 *
- 7.2.24 *
- 7.2.25 *
- 7.2.26 *
- 7.2.27 *
- 7.2.28 *

Transition for *Prepayment Features with Negative Compensation*

- 7.2.29 An entity shall apply *Prepayment Features with Negative Compensation* (Amendments to Ind AS 109) retrospectively in accordance with Ind AS 8, except as specified in paragraphs 7.2.30–7.2.34.
- 7.2.30 An entity that first applies these amendments at the same time it first applies this Standard shall apply relevant provisions of Ind AS 101 instead of paragraphs 7.2.31–7.2.34.
- 7.2.31 An entity that first applies these amendments after it first applies this Standard shall apply paragraphs 7.2.32–7.2.34. The entity shall also apply the other transition requirements in this Standard necessary for applying these amendments. For that purpose, references to the date of initial application shall be read as referring to the beginning of the reporting period in which an entity first applies these amendments (date of initial application of these amendments).
- 7.2.32 With regard to designating a financial asset or financial liability as measured at fair value through profit or loss, an entity:
- (a) shall revoke its previous designation of a financial asset as measured at fair value through profit or loss if that designation was previously made in accordance with the condition in paragraph 4.1.5 but that condition is no longer satisfied as a result of the application of these amendments;
 - (b) may designate a financial asset as measured at fair value through profit or loss if that designation would not have previously satisfied the condition in paragraph 4.1.5 but that condition is now satisfied as a result of the application of these amendments;

* Refer Appendix 1

- (c) shall revoke its previous designation of a financial liability as measured at fair value through profit or loss if that designation was previously made in accordance with the condition in paragraph 4.2.2(a) but that condition is no longer satisfied as a result of the application of these amendments; and
- (d) may designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss if that designation would not have previously satisfied the condition in paragraph 4.2.2(a) but that condition is now satisfied as a result of the application of these amendments.

Such a designation and revocation shall be made on the basis of the facts and circumstances that exist at the date of initial application of these amendments. That classification shall be applied retrospectively.

7.2.33 An entity is not required to restate prior periods to reflect the application of these amendments. The entity may restate prior periods if, and only if, it is possible without the use of hindsight and the restated financial statements reflect all the requirements in this Standard. If an entity does not restate prior periods, the entity shall recognise any difference between the previous carrying amount and the carrying amount at the beginning of the annual reporting period that includes the date of initial application of these amendments in the opening retained earnings (or other component of equity, as appropriate) of the annual reporting period that includes the date of initial application of these amendments.

7.2.34 In the reporting period that includes the date of initial application of these amendments, the entity shall disclose the following information as at that date of initial application for each class of financial assets and financial liabilities that were affected by these amendments:

- (a) the previous measurement category and carrying amount determined immediately before applying these amendments;
- (b) the new measurement category and carrying amount determined after applying these amendments;
- (c) the carrying amount of any financial assets and financial liabilities in the Balance Sheet that were previously designated as measured at fair value through profit or loss but are no longer so designated; and
- (d) the reasons for any designation or de-designation of financial assets or financial liabilities as measured at fair value through profit or loss.”;

(ii) In Appendix B,

(a) in paragraph B4.1.11, for item (b), the following item shall be substituted, namely:-

“(b) a contractual term that permits the issuer (ie the debtor) to prepay a debt instrument or permits the holder (ie the creditor) to put a debt instrument back to the issuer before maturity and the prepayment amount substantially represents unpaid amounts of principal and interest on the principal amount outstanding, which may include reasonable compensation for the early termination of the contract; and”;

(b) in paragraph B4.1.12, for item (b), the following item shall be substituted, namely:-

“(b) the prepayment amount substantially represents the contractual par amount and accrued

(but unpaid) contractual interest, which may include reasonable compensation for the early termination of the contract; and”;

(c) after paragraph B4.1.12, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“B4.1.12A For the purpose of applying paragraphs B4.1.11(b) and B4.1.12(b), irrespective of the event or circumstance that causes the early termination of the contract, a party may pay **or** receive reasonable compensation for that early termination. For example, a party may pay or receive reasonable compensation when it chooses to terminate the contract early (or otherwise causes the early termination to occur).”;

(iii) In Appendix 1,

(a) for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“3. Paragraphs 7.1.1 to 7.1.3 of IFRS 9 related to effective date have not been included in Ind AS 109 as these paragraphs are not relevant in Indian context. Paragraph 7.1.6 has not been included as it refers to amendments due to issuance of IFRS 17, *Insurance Contracts*, for which corresponding Ind AS is under formulation. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 9, these paragraph numbers are retained in Ind AS 109.”;

(b) after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“4. Following paragraphs related to transition have not been included as these paragraphs are not relevant in Indian context. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 9, the paragraph numbers are retained in Ind AS 109.

(i) Paragraph 7.2.2

(ii) Paragraphs 7.2.6-7.2.7

(iii) Paragraphs 7.2.12-7.2.13

(iv) Paragraphs 7.2.14A-7.2.28.”.

IV. in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 111”, -

(i) in Appendix B, after paragraph B33C, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“B33CA A party that participates in, but does not have joint control of, a joint operation might obtain joint control of the joint operation in which the activity of the joint operation constitutes a business as defined in Ind AS 103. In such cases, previously held interests in the joint operation are not remeasured.”;

(ii) after Appendix B, the following Appendix shall be inserted, namely:-

“Appendix C

This Appendix is an integral part of the Ind AS and has the same authority as the other parts of the Ind AS.

Effective date

C1 *

C1A *

* Refer Appendix 1

C1AA *

C1AB *Annual Improvements to Ind AS (2018)* added paragraph B33CA. An entity shall apply those amendments to transactions in which it obtains joint control on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after 1 April, 2019.

(iii) In Appendix 1, for paragraph 1, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“1 Paragraph C1 of Appendix C of IFRS 11 refers to Effective date that has not been included since the same is not relevant as the date of application is notified under the Companies Act. Paragraphs C1A and C1AA related to transitional provisions have not been included since, transitional provisions wherever considered appropriate have been included in Ind AS 101, *First-time Adoption of Indian Accounting Standards*, corresponding to IFRS 1, *First-time Adoption of International Financial Reporting Standards*. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IFRS 11, the paragraph numbers are retained in Ind AS 111.”.

V. in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 12”, -

(i) paragraph 52B shall be omitted;

(ii) after paragraph 52B, for the words and numbers, “**Example illustrating paragraphs 52A and 52B**”, the following words and numbers shall be substituted, namely:-

“**Example illustrating paragraphs 52A and 57A**”;

(iii) after paragraph 57, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“57A An entity shall recognise the income tax consequences of dividends as defined in Ind AS 109 when it recognises a liability to pay a dividend. The income tax consequences of dividends are linked more directly to past transactions or events that generated distributable profits than to distributions to owners. Therefore, an entity shall recognise the income tax consequences of dividends in profit or loss, other comprehensive income or equity according to where the entity originally recognised those past transactions or events.”;

(iv) after paragraph 98H, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“98I *Annual Improvements to Ind AS (2018)* added paragraph 57A and deleted paragraph 52B. An entity shall apply those amendments for annual reporting periods beginning on or after 1 April, 2019.”;

(v) after Appendix B, the following Appendix shall be inserted, namely:-

“Appendix C, Uncertainty over Income Tax Treatments

This appendix is an integral part of the Ind AS and has the same authority as the other parts of the IndAS

Background

* Refer Appendix 1

1. Ind AS 12, *Income Taxes*, specifies requirements for current and deferred tax assets and liabilities. An entity applies the requirements in Ind AS 12 based on applicable tax laws.
2. It may be unclear how tax law applies to a particular transaction or circumstance. The acceptability of a particular tax treatment under tax law may not be known until the relevant taxation authority or a court takes a decision in the future. Consequently, a dispute or examination of a particular tax treatment by the taxation authority may affect an entity's accounting for a current or deferred tax asset or liability.
3. In this Appendix:
 - (a) 'tax treatments' refers to the treatments used by an entity or that it plans to use in its income tax filings.
 - (b) 'taxation authority' refers to the body or bodies that decide whether tax treatments are acceptable under tax law. This might include a court.
 - (c) an 'uncertain tax treatment' is a tax treatment for which there is uncertainty over whether the relevant taxation authority will accept the tax treatment under tax law. For example, an entity's decision not to submit any income tax filing in a tax jurisdiction, or not to include particular income in taxable profit, is an uncertain tax treatment if its acceptability is uncertain under tax law.

Scope

4. This Appendix clarifies how to apply the recognition and measurement requirements in Ind AS 12 when there is uncertainty over income tax treatments. In such a circumstance, an entity shall recognise and measure its current or deferred tax asset or liability applying the requirements in Ind AS 12 based on taxable profit (tax loss), tax bases, unused tax losses, unused tax credits and tax rates determined applying this Appendix.

Issues

5. When there is uncertainty over income tax treatments, this Appendix addresses:
 - (a) whether an entity considers uncertain tax treatments separately;
 - (b) the assumptions an entity makes about the examination of tax treatments by taxation authorities;
 - (c) how an entity determines taxable profit (tax loss), tax bases, unused tax losses, unused tax credits and tax rates; and
 - (d) how an entity considers changes in facts and circumstances.

Accounting Principles

Whether an entity considers uncertain tax treatments separately

6. An entity shall determine whether to consider each uncertain tax treatment separately or together with one or more other uncertain tax treatments based on which approach better predicts the resolution of the uncertainty. In determining the approach that better predicts the resolution of the uncertainty, an entity might consider, for example, (a) how it prepares its income tax filings and supports tax treatments; or (b) how the entity expects the taxation authority to make its examination and resolve issues that might arise from that examination.

7. If, applying paragraph 6, an entity considers more than one uncertain tax treatment together, the entity shall read references to an ‘uncertain tax treatment’ in this Appendix as referring to the group of uncertain tax treatments considered together.

Examination by taxation authorities

8. In assessing whether and how an uncertain tax treatment affects the determination of taxable profit (tax loss), tax bases, unused tax losses, unused tax credits and tax rates, an entity shall assume that a taxation authority will examine amounts it has a right to examine and have full knowledge of all related information when making those examinations.

Determination of taxable profit (tax loss), tax bases, unused tax losses, unused tax credits and tax rates

9. An entity shall consider whether it is probable that a taxation authority will accept an uncertain tax treatment.
10. If an entity concludes it is probable that the taxation authority will accept an uncertain tax treatment, the entity shall determine the taxable profit (tax loss), tax bases, unused tax losses, unused tax credits or tax rates consistently with the tax treatment used or planned to be used in its income tax filings.
11. If an entity concludes it is not probable that the taxation authority will accept an uncertain tax treatment, the entity shall reflect the effect of uncertainty in determining the related taxable profit (tax loss), tax bases, unused tax losses, unused tax credits or tax rates. An entity shall reflect the effect of uncertainty for each uncertain tax treatment by using either of the following methods, depending on which method the entity expects to better predict the resolution of the uncertainty:
- (a) The most likely amount—the single most likely amount in a range of possible outcomes. The most likely amount may better predict the resolution of the uncertainty if the possible outcomes are binary or are concentrated on one value.
 - (b) The expected value—the sum of the probability-weighted amounts in a range of possible outcomes. The expected value may better predict the resolution of the uncertainty if there is a range of possible outcomes that are neither binary nor concentrated on one value.
12. If an uncertain tax treatment affects current tax and deferred tax (for example, if it affects both taxable profit used to determine current tax and tax bases used to determine deferred tax), an entity shall make consistent judgements and estimates for both current tax and deferred tax.

Changes in facts and circumstances

13. An entity shall reassess a judgement or estimate required by this Appendix if the facts and circumstances on which the judgement or estimate was based change or as a result of new information that affects the judgement or estimate. For example, a change in facts and circumstances might change an entity’s conclusions about the acceptability of a tax treatment or the entity’s estimate of the effect of uncertainty, or both. Paragraphs A1–A3 set out guidance on changes in facts and circumstances.
14. An entity shall reflect the effect of a change in facts and circumstances or of new information as a change in accounting estimate applying Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in*

Accounting Estimates and Errors. An entity shall apply Ind AS 10, *Events after the Reporting Period*, to determine whether a change that occurs after the reporting period is an adjusting or non-adjusting event.

Application Guidance

This Application Guidance is an integral part of Appendix C and has the same authority as the other parts of Appendix C.

Changes in facts and circumstances (paragraph 13)

- A1 In applying paragraph 13 of this Appendix, an entity shall assess the relevance and effect of a change in facts and circumstances or of new information in the context of applicable tax laws. For example, a particular event might result in the reassessment of a judgement or estimate made for one tax treatment but not another, if those tax treatments are subject to different tax laws.
- A2 Examples of changes in facts and circumstances or new information that, depending on the circumstances, can result in the reassessment of a judgement or estimate required by this Appendix include, but are not limited to, the following:
- (a) examinations or actions by a taxation authority. For example:
 - (i) agreement or disagreement by the taxation authority with the tax treatment or a similar tax treatment used by the entity;
 - (ii) information that the taxation authority has agreed or disagreed with a similar tax treatment used by another entity; and
 - (iii) information about the amount received or paid to settle a similar tax treatment.
 - (b) changes in rules established by a taxation authority.
 - (c) the expiry of a taxation authority's right to examine or re-examine a tax treatment.
- A3 The absence of agreement or disagreement by a taxation authority with a tax treatment, in isolation, is unlikely to constitute a change in facts and circumstances or new information that affects the judgements and estimates required by this Appendix.

Disclosure

- A4 When there is uncertainty over income tax treatments, an entity shall determine whether to disclose:
- (a) judgements made in determining taxable profit (tax loss), tax bases, unused tax losses, unused tax credits and tax rates applying paragraph 122 of Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*; and
 - (b) information about the assumptions and estimates made in determining taxable profit (tax loss), tax bases, unused tax losses, unused tax credits and tax rates applying paragraphs 125–129 of Ind AS 1.
- A5 If an entity concludes it is probable that a taxation authority will accept an uncertain tax treatment, the entity shall determine whether to disclose the potential effect of the uncertainty as a tax-related contingency applying paragraph 88 of Ind AS 12.

Effective date and transition

This Section is an integral part of Appendix C and has the same authority as the other parts of the Appendix C.

Effective date

B1 An entity shall apply this Appendix for annual reporting periods beginning on or after April 1, 2019.

Transition

B2 On initial application, an entity shall apply this Appendix either:

- (a) retrospectively applying Ind AS 8, if that is possible without the use of hindsight; or
- (b) retrospectively with the cumulative effect of initially applying the Appendix recognised at the date of initial application. If an entity selects this transition approach, it shall not restate comparative information. Instead, the entity shall recognise the cumulative effect of initially applying the Appendix as an adjustment to the opening balance of retained earnings (or other component of equity, as appropriate). The date of initial application is the beginning of the annual reporting period in which an entity first applies this Appendix.”;

(vi) in Appendix 1,-

(a) in the related *Note*, after the words “*Income Taxes*,” and before the words and figure “*and SIC 25*,” the words and figure “*IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments*” shall be inserted;

(b) in the heading, after the words “*Income Taxes*”, the word and figure “*IFRIC 23*” shall be inserted;

(c) in paragraph 4, for items (iv) to (x), the following items shall be substituted, namely:-

- “(iv) paragraph 52B
- (v) paragraph 61
- (vi) paragraphs 62(b) and (d)
- (vii) paragraph 69
- (viii) paragraph 70
- (ix) paragraph 77A
- (x) paragraph 81(b)
- (xi) paragraph 83.”.

VI. in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 19”, -

(i) in paragraph 57, in item (c), for sub-item (i), the following sub-item shall be substituted, namely:-

“(i) current service cost (see paragraphs 70–74 and paragraph 122A).”;

(ii) for paragraph 99, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“99 When determining past service cost, or a gain or loss on settlement, an entity shall remeasure the net defined benefit liability (asset) using the current fair value of

plan assets and current actuarial assumptions, including current market interest rates and other current market prices, reflecting:

- (a) **the benefits offered under the plan and the plan assets before the plan amendment, curtailment or settlement; and**
- (b) **the benefits offered under the plan and the plan assets after the plan amendment, curtailment or settlement.”;**

(iii) after paragraph 101, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“101A When a plan amendment, curtailment or settlement occurs, an entity shall recognise and measure any past service cost, or a gain or loss on settlement, in accordance with paragraphs 99–101 and paragraphs 102–112. In doing so, an entity shall not consider the effect of the asset ceiling. An entity shall then determine the effect of the asset ceiling after the plan amendment, curtailment or settlement and shall recognise any change in that effect in accordance with paragraph 57(d).”;

(iv) in paragraph 120, for item (a), the following item shall be substituted, namely:-

“(a) **service cost (see paragraphs 66–112 and paragraph 122A) in profit or loss;**”;

(v) after paragraph 122, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“**Current service cost**

122A An entity shall determine current service cost using actuarial assumptions determined at the start of the annual reporting period. However, if an entity remeasures the net defined benefit liability (asset) in accordance with paragraph 99, it shall determine current service cost for the remainder of the annual reporting period after the plan amendment, curtailment or settlement using the actuarial assumptions used to remeasure the net defined benefit liability (asset) in accordance with paragraph 99(b).”;

(vi) for paragraph 123, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“**123 An entity shall determine net interest on the net defined benefit liability (asset) by multiplying the net defined benefit liability (asset) by the discount rate specified in paragraph 83.**”;

(vii) after paragraph 123, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“**123A To determine net interest in accordance with paragraph 123, an entity shall use the net defined benefit liability (asset) and the discount rate determined at the start of the annual reporting period. However, if an entity remeasures the net defined benefit liability (asset) in accordance with paragraph 99, the entity shall determine net interest for the remainder of the annual reporting period after the plan amendment, curtailment or settlement using:**

- (a) **the net defined benefit liability (asset) determined in accordance with paragraph 99(b); and**
- (b) **the discount rate used to remeasure the net defined benefit liability (asset) in accordance with paragraph 99(b).**

In applying paragraph 123A, the entity shall also take into account any changes in the net defined benefit liability (asset) during the period resulting from contributions or benefit payments.”;

(viii) for paragraph 125, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“125 Interest income on plan assets is a component of the return on plan assets, and is determined by multiplying the fair value of the plan assets by the discount rate specified in paragraph 123A. An entity shall determine the fair value of the plan assets at the start of the annual reporting period. However, if an entityremeasures the net defined benefit liability (asset) in accordance with paragraph 99, the entity shall determine interest income for the remainder of the annual reporting period after the plan amendment, curtailment or settlement using the plan assets used to remeasure the net defined benefit liability (asset) in accordance with paragraph 99(b). In applying paragraph 125, the entity shall also take into account any changes in the plan assets held during the period resulting from contributions or benefit payments. The difference between the interest income on plan assets and the return on plan assets is included in the remeasurement of the net defined benefit liability (asset).”;

(ix) for paragraph 126, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“126 Interest on the effect of the asset ceiling is part of the total change in the effect of the asset ceiling, and is determined by multiplying the effect of the asset ceiling by the discount rate specified in paragraph 123A. An entity shall determine the effectof the asset ceiling at the start of the annual reporting period. However, if an entity remeasures the net defined benefit liability (asset) in accordance with paragraph 99, the entity shall determine interest on the effect of the asset ceiling for the remainder of the annual reporting period after the plan amendment, curtailment or settlement taking into account any change in the effect of the asset ceiling determined in accordance with paragraph 101A. The difference between interest on the effect of the asset ceilingand the total change in the effect of the asset ceiling is included in the remeasurement of the net defined benefit liability (asset).”;

(x) in paragraph 156, for item (a), the following item shall be substituted, namely:-

“(a)service cost (see paragraphs 66–112 and paragraph 122A);”;

(xi) after paragraph 171, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

“Transition and effective date

172 *

173 *

174 *

175 *

176 *

177 *

* Refer Appendix 1

178 *

179 *Plan Amendment, Curtailment or Settlement* (Amendments to Ind AS 19), added paragraphs 101A, 122A and 123A, and amended paragraphs 57, 99, 120, 123, 125, 126 and 156. An entity shall apply these amendments to plan amendments, curtailments or settlements occurring on or after the beginning of the first annual reporting period that begins on or after 1 April, 2019.”;

(xii) in Appendix 1, after paragraph 5, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“6 Paragraphs 172 to 177 of IAS 19 have not been included as these paragraphs relate to transition and effective date that are not relevant in Indian context. Paragraph 178 has not been included as it refers to amendments due to issuance of IFRS 17, *Insurance Contracts*, for which corresponding Ind AS is under formulation. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 19, the paragraph numbers are retained in Ind AS 19.”.

VII. in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 23”, -

(i) for paragraph 14, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“14 To the extent that an entity borrows funds generally and uses them for the purpose of obtaining a qualifying asset, the entity shall determine the amount of borrowing costs eligible for capitalisation by applying a capitalisation rate to the expenditures on that asset. The capitalisation rate shall be the weighted average of the borrowing costs applicable to all borrowings of the entity that are outstanding during the period. However, an entity shall exclude from this calculation borrowing costs applicable to borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset until substantially all the activities necessary to prepare that asset for its intended use or sale are complete. The amount of borrowing costs that an entity capitalises during a period shall not exceed the amount of borrowing costs it incurred during that period.”;

(ii) after paragraph 28, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“28A *Annual Improvements to Ind AS (2018)* amended paragraph 14. An entity shall apply those amendments to borrowing costs incurred on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies those amendments.”;

(iii) after paragraph 29C, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“29D *Annual Improvements to Ind AS (2018)* amended paragraph 14 and added paragraph 28A. An entity shall apply those amendments for annual reporting periods beginning on or after 1 April, 2019.”.

VIII. in “Indian Accounting Standard (Ind AS) 28”, -

(i) after paragraph 14, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“14A An entity also applies Ind AS 109 to other financial instruments in an associate or joint

venture to which the equity method is not applied. These include long-term interests that, in substance, form part of the entity's net investment in an associate or joint venture (see paragraph 38). An entity applies Ind AS 109 to such long-term interests before it applies paragraph 38 and paragraphs 40–43 of this Standard. In applying Ind AS 109, the entity does not take account of any adjustments to the carrying amount of long-term interests that arise from applying this Standard.”;

(ii) paragraph 41 shall be omitted;

(iii) after paragraph 45E, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

“45 F *

45 G *Long-term Interests in Associates and Joint Ventures*, added paragraph 14A and deleted paragraph 41. An entity shall apply those amendments retrospectively in accordance with Ind AS 8 for annual reporting periods beginning on or after 1 April, 2019, except as specified in paragraphs 45H–K.

45 H An entity that first applies the amendments in paragraph 45G at the same time it first applies Ind AS 109 shall apply the transition requirements in Ind AS 109 to the long-term interests described in paragraph 14A.

45 I An entity that first applies the amendments in paragraph 45G after it first applies Ind AS 109 shall apply the transition requirements in Ind AS 109 necessary for applying the requirements set out in paragraph 14A to long-term interests. For that purpose, references to the date of initial application in Ind AS 109 shall be read as referring to the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies the amendments (the date of initial application of the amendments). The entity is not required to restate prior periods to reflect the application of the amendments. The entity may restate prior periods only if it is possible without the use of hindsight.

45 J *

45 K If an entity does not restate prior periods applying paragraph 45I, at the date of initial application of the amendments it shall recognise in the opening retained earnings (or other component of equity, as appropriate) any difference between:

- (a) the previous carrying amount of long-term interests described in paragraph 14A at that date; and
- (b) the carrying amount of those long-term interests at that date.

Appendix A

Illustrative Example-Long-term Interests in Associates and Joint Ventures

This example portrays a hypothetical situation illustrating how an entity (investor) accounts for long-term interests that, in substance, form part of the entity's net investment in an associate (long-term interests) applying Ind AS 109 and Ind AS 28 based on the assumptions presented. The entity applies Ind AS 109 in accounting for long-term interests. The entity applies Ind AS 28 to its net investment in the associate, which includes long-term interests. The analysis in this

* Refer Appendix 1

example is not intended to represent the only manner in which the requirements in Ind AS 28 could be applied.

Assumptions

The investor has the following three types of interests in the associate:

- (a) O Shares—ordinary shares representing a 40% ownership interest to which the investor applies the equity method. This interest is the least senior of the three interests, based on their relative priority in liquidation.
- (b) P Shares—non-cumulative preference shares that form part of the net investment in the associate and that the investor measures at fair value through profit or loss applying Ind AS 109.
- (c) LT Loan—a long-term loan that forms part of the net investment in the associate and that the investor measures at amortised cost applying Ind AS 109, with a stated interest rate and an effective interest rate of 5% a year. The associate makes interest-only payments to the investor each year. The LT Loan is the most senior of the three interests.

The LT Loan is not an originated credit-impaired loan. Throughout the years illustrated, there has not been any objective evidence that the net investment in the associate is impaired applying Ind AS 28, nor does the LT Loan become credit-impaired applying Ind AS 109.

The associate does not have any outstanding cumulative preference shares classified as equity, as described in paragraph 37 of Ind AS 28. Throughout the years illustrated, the associate neither declares nor pays dividends on O Shares or P Shares.

The investor has not incurred any legal or constructive obligations, nor made payments on behalf of the associate, as described in paragraph 39 of Ind AS 28. Accordingly, the investor does not recognise its share of the associate's losses once the carrying amount of its net investment in the associate is reduced to zero.

The amount of the investor's initial investment in O Shares is ₹200, in P Shares is ₹100 and in the LT Loan is ₹100. On acquisition of the investment, the cost of the investment equals the investor's share of the net fair value of the associate's identifiable assets and liabilities.

This table summarises the carrying amount at the end of each year for P Shares and the LT Loan applying Ind AS 109 but before applying Ind AS 28, and the associate's profit (loss) for each year. The amounts for the LT Loan are shown net of the loss allowance.

At the end of	P Shares applying Ind AS 109 (fair value)	LT Loan applying Ind AS 109 (amortised cost)	Profit (Loss) of the associate
Year 1	₹110	₹90	₹50
Year 2	₹90	₹70	₹(200)
Year 3	₹50	₹50	₹(500)
Year 4	₹40	₹50	₹(150)
Year 5	₹60	₹60	—
Year 6	₹80	₹70	₹500

Year 7	₹110	₹90	₹500
--------	------	-----	------

Analysis**Year 1**

The investor recognises the following in Year 1:

Investments in the associate:

DR. O Shares	₹200	
DR. P Shares	₹100	
DR. LT Loan	₹100	
CR. Cash		₹400

To recognise the initial investment in the associate

DR. P Shares	₹10	
CR. Profit or loss		₹10

To recognise the change in fair value (₹110 – ₹100)

DR. Profit or loss	₹10	
CR. Loss allowance (LT Loan)		₹10

To recognise an increase in the loss allowance (₹90 – ₹100)

DR. O Shares	₹20	
CR. Profit or loss		₹20

To recognise the investor's share of the associate's profit (₹50 × 40%)

At the end of Year 1, the carrying amount of O Shares is ₹220, P Shares is ₹110 and the LT Loan (net of loss allowance) is ₹90.

Year 2

The investor recognises the following in Year 2:

DR. Profit or loss	₹20	
CR. P Shares		₹20

To recognise the change in fair value (₹90 – ₹110)

DR. Profit or loss	₹20	
CR. Loss allowance (LT Loan)		₹20

To recognise an increase in the loss allowance (₹70 – ₹90)

DR. Profit or loss	₹80	
CR. O Shares		₹80

To recognise the investor's share of the associate's loss (₹200 × 40%)

At the end of Year 2, the carrying amount of O Shares is ₹140, P Shares is ₹90 and the LT Loan (net of loss allowance) is ₹70.

Year 3

Applying paragraph 14A of Ind AS 28, the investor applies Ind AS 109 to P Shares and the LT Loan before it applies paragraph 38 of Ind AS 28. Accordingly, the investor recognises the following in Year 3:

DR. Profit or loss	₹40	
CR. P Shares		₹40

To recognise the change in fair value (₹50 – ₹90)

DR. Profit or loss	₹20	
CR. Loss allowance (LT Loan)		₹20

To recognise an increase in the loss allowance (₹50 – ₹70)

DR. Profit or loss	₹200	
CR. O Shares		₹140
CR. P Shares		₹50
CR. LT Loan		₹10

To recognise the investor's share of the associate's loss in reverse order of seniority as specified in paragraph 38 of Ind AS 28 (₹500 × 40%)

At the end of Year 3, the carrying amount of O Shares is zero, P Shares is zero and the LT Loan (net of loss allowance) is ₹40.

Year 4

Applying Ind AS 109 to its interests in the associate, the investor recognises the following in Year 4:

DR. Profit or loss	₹10	
CR. P Shares		₹10

To recognise the change in fair value (₹40 – ₹50)

Recognition of the change in fair value of ₹10 in Year 4 results in the carrying amount of P Shares being negative ₹10. Consequently, the investor recognises the following to reverse a portion of the associate's losses previously allocated to P Shares:

DR. P Shares	₹10	
CR. Profit or loss		₹10

To reverse a portion of the associate's losses previously allocated to P Shares

Applying paragraph 38 of Ind AS 28, the investor limits the recognition of the associate's losses to ₹40 because the carrying amount of its net investment in the associate is then zero. Accordingly, the investor recognises the following:

DR. Profit or loss	₹40	
CR. LT Loan		₹40

To recognise the investor's share of the associate's loss

At the end of Year 4, the carrying amount of O Shares is zero, P Shares is zero and the LT Loan

(net of loss allowance) is zero. There is also an unrecognised share of the associate's losses of ₹30 (the investor's share of the associate's cumulative losses of ₹340 – ₹320 losses recognised cumulatively + ₹10 losses reversed).

Year 5

Applying Ind AS 109 to its interests in the associate, the investor recognises the following in Year 5:

DR. P Shares	₹20	
CR. Profit or loss		₹20

To recognise the change in fair value (₹60 – ₹40)

DR. Loss allowance (LT Loan)	₹10	
CR. Profit or loss		₹10

To recognise a decrease in the loss allowance (₹60 – ₹50)

After applying Ind AS 109 to P Shares and the LT Loan, these interests have a positive carrying amount. Consequently, the investor allocates the previously unrecognised share of the associate's losses of ₹30 to these interests.

DR. Profit or loss	₹30	
CR. P Shares		₹20
CR. LT Loan		₹10

To recognise the previously unrecognised share of the associate's losses

At the end of Year 5, the carrying amount of O Shares is zero, P Shares is zero and the LT Loan (net of loss allowance) is zero.

Year 6

Applying Ind AS 109 to its interests in the associate, the investor recognises the following in Year 6:

DR. P Shares	₹20	
CR. Profit or loss		₹20

To recognise the change in fair value (₹80 – ₹60)

DR. Loss allowance (LT Loan)	₹10	
CR. Profit or loss		₹10

To recognise a decrease in the loss allowance (₹70 – ₹60)

The investor allocates the associate's profit to each interest in the order of seniority. The investor limits the amount of the associate's profit it allocates to P Shares and the LT Loan to the amount of equity method losses previously allocated to those interests, which in this example is ₹60 for both interests.

DR. O Shares	₹80	
DR. P Shares	₹60	
DR. LT Loan	₹60	
CR. Profit or loss		₹200

To recognise the investor's share of the associate's profit (₹500 × 40%)

At the end of Year 6, the carrying amount of O Shares is ₹80, P Shares is ₹80 and the LT Loan (net of loss allowance) is ₹70.

Year 7

The investor recognises the following in Year 7:

DR. P Shares	₹30	
CR. Profit or loss		₹30

To recognise the change in fair value (₹110 – ₹80)

DR. Loss allowance (LT Loan)	₹20	
CR. Profit or loss		₹20

To recognise a decrease in the loss allowance (₹90 – ₹70)

DR. O Shares	₹200	
CR. Profit or loss		₹200

To recognise the investor's share of the associate's profit (₹500 × 40%)

At the end of Year 7, the carrying amount of O Shares is ₹280, P Shares is ₹110 and the LT Loan (net of loss allowance) is ₹90.

Years 1–7

When recognising interest revenue on the LT Loan in each year, the investor does not take account of any adjustments to the carrying amount of the LT Loan that arose from applying Ind AS 28 (paragraph 14A of Ind AS 28). Accordingly, the investor recognises the following in each year:

DR. Cash	₹5	
CR. Profit or loss		₹5

To recognise interest revenue on LT Loan based on the effective interest rate of 5%

Summary of amounts recognised in profit or loss

This table summarises the amounts recognised in the investor's profit or loss.

Items recognised During	Impairment (losses), including reversals, applying Ind AS 109	Gains (losses) of P Shares applying Ind AS 109	Share of profit (loss) of the associate recognised applying the equity method	Interest revenue applying Ind AS 109
Year 1	₹(10)	₹10	₹20	₹5
Year 2	₹(20)	₹(20)	₹(80)	₹5

Year 3	₹(20)	₹(40)	₹(200)	₹5
Year 4	—	₹(10)	₹(30)	₹5
Year 5	₹10	₹20	₹(30)	₹5
Year 6	₹10	₹20	₹200	₹5
Year 7	₹20	₹30	₹200	₹5

(iv) In Appendix 1, after paragraph 4, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

- “5. Paragraph 41 appears as ‘deleted’ in IAS 28. In order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 28, the paragraph number is retained in Ind AS 28.
6. Paragraph 45F of IAS 28 has not been included as it refers to amendments due to issuance of IFRS 17, *Insurance Contracts*, for which corresponding Ind AS is under formulation. Paragraph 45J of IAS 28 related to temporary exemption from IFRS 9 in accordance with IFRS 4, *Insurance Contracts*, has not been included in Ind AS 28 since the said exemption has not been given under Ind AS 104. However, in order to maintain consistency with paragraph numbers of IAS 28, the paragraph numbers are retained in Ind AS 28.”.

[F. No. 01/01/2009-CL-V (Part VIII)]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 16th February, 2015 vide number G.S.R. 111(E) dated the 16th February, 2015 and were subsequently amended vide notifications number G.S.R. 365 (E), dated the 30th March, 2016, number G.S.R. 258(E), dated the 17th March, 2017, number G.S.R. 310(E), dated the 28th March, 2018, G.S.R. 903(E), dated the 20th September, 2018 and G.S.R. 273(E), dated the 30th March, 2019.